रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 1975/ चैत्र 22, 1897
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 1975/CHAITRA 22, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1975

सा० का० नि० 450.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० एस० ओ० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, दिल्ली से संबंधित मद 15 में उच्च न्यायालय से संबंधित उप मद (क) के सामने स्तम्भ (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों (i) और (ii) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

"(i) श्री हरीश चन्द्र,

केन्द्रीय सरकार के प्रथम स्थायी काउन्सेल,

(ii) श्री ए० वी० महाराया,

केन्द्रीय सरकार के द्वितीय स्थायी काउन्सेल।"

[सं० फा० 24(14)/74-न्या०]

पी० एच० रामचन्दानी, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 24th February, 1975

G.S.R. 450.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs), No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960:—

In the Schedule to the said notification in item 15, relating to Delhi, against sub-item (a) relating to High Court, in column 2, for the existing entries (i) and (ii), the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"(i) Shri Harish Chandra,
Ist Central Government Standing Counsel.

(ii) Shri A. B. Saharaya,
2nd Central Government Standing Counsel".

[No. F. 24(14)/74-Judl.]

P. H. RAMCHANDANI, Joit Secy & Legal Adviser

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1975

सा० का० नि० 451.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 443 (इ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना स० सा०नि०आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1975 को अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिसूचना" कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मेसर्स निस्शो इवाय कम्पनी लि० (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षायें जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपांतरित की गई है, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगी अर्थात् :—

यदि 30 सितम्बर, 1974 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(1) कम्पनी द्वारा अपने उद्भव देश में उक्त देश के कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये प्रमाणीकृत तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे की प्रति (इसमें कम्पनी की प्रत्येक अनुसंगी के अभिलेख भी सम्मिलित हों)।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन भारत में आदेशिका तामील की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत व्यक्ति तथा कम्पनी के दो निदेशकों एवं लेखा-परीक्षक द्वारा सम्यतः हस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि कम्पनी की इस अवधि में भारत में उसके लाभार्थ कोई जायदाद अथवा परिसम्पत्तियां नहीं थीं तथा इसके लेखे में भारत में कोई देयतायें नही थीं, तथा कि इसने भारत में कोई व्यापार नही किया।

(3) उपरोक्त उप-पैरा (2) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा सम्यतः हस्ताक्षरित भारत में इसकी प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण पत्र।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

[फा० सं० 14/17/74-सी०एल० 6]

वी० के० वेंकटरामन, उप-सचिव

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

New Delhi, the 2nd April, 1975

G.S.R. 451.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereinafter referred to as "the Notification", the Company Law Board hereby directs that in the case of M/s. Nissho Iwai Company Limited (hereinafter referred to as "the Company") being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the notification shall apply subject to the following further exceptions and modification namely :—

It shall, be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 if in respect of the financial year ended the 30th September, 1974, the company submits to the appropriate Registrars of Companies in India in triplicate :—

(i) A copy of the authenticated balance sheet and profit and loss account (including the documents) relating to every subsidiary of the company) as submitted by it to the prescribed authority in the country of incorporation under the provisions of the law in that country.

(ii) A certificate singed by two directors of the company and by the person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of section 592 of the Act and by an auditor in India to the effect that during the said year the company held no property or assets in India for its own benefit and did not have any liabilities in India on its own account and that it did not carry on any business in India; and

(iii) A statement of its receipts and expenditure in India duly certified by the persons mentioned in sub-para (ii) above.

By order of the Company Law Board.

[F. No. 14/17/74-CL. VI]

V. K. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1975

सा० का० नि० 452.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वां) की धारा 280-घ के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचत करती है कि 1975-1976 के वर्ष के दौरान वार्षिकियों के संबन्ध में जमा करायी जाने वाली या वसूल की जाने वाली रकमों पर प्रतिवर्ष (लगभग) 4½ प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

[एफ० संख्या 6(4)-पी०डी०/75]

मंगल दास पाल, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 31st March, 1975

G.S.R. 452.—In pursuance of the provision sof Section 280-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that annuity deposits made or recovered during the year 1975-76 shall bear interest at the rate of 4-1/4 per cent (approximately) per annum.

[F. No. 6(4)-PD/75]
M. D. PAL, Dy. Secy.

योजना आयोग

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1975

शुद्धि-पत्र

सा०का०नि० 453.—योजना आयोग की दिनांक 24 जनवरी, 1975 की अधिसूचना संख्या ए० 12018/4/72-प्रशासन-1 की अनुसूची के स्तम्भ 7 में 'वांछनीय' अर्हताओं के मद (1) में दिए गए शब्द "तथा" के स्थान पर "अथवा" पढ़ा जाए ।

[सं० ए० 12018/4/72-प्रशासन-1]

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 24th March, 1975

CORRIGENDUM

G.S.R. 453.—In the Planning Commission Notification No. A-12018/4/72-ADM-I dated the 24th January, 1975 for the word **"and"** appearing against item (i) of the 'Desirable' qualifications in the entry under column 7 of the Schedule to the said Notifiction, read 'or'.

[No. A-12018/4/72-Adm. I]

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1975

सा० का० नि० 454.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग में निदेशक (सामाजिक सेवाएं) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम योजना आयोग निदेशक (सामाजिक सेवाएं) भर्ती नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
निदेशक (सामाजिक सेवाएं)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1, राजपत्रित	1300-60-1600-100-1800 रु०	लागू नहीं होगा	45 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (2) अनुसंधान करने और उसका मार्ग दर्शन करने का दस वर्ष का अनुभव, जिसमें योजना संकल्पनाओं तकनीकों और प्रक्रियाओं का, विशेषतया समाज सेवा विकास के क्षेत्र में ज्ञान सम्मिलित है। (अर्हताएं, सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विनिश्चयानुसार शिथिलनीय)। वांछनीय : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में डाक्टर की उपाधि। (2) सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास के लिए योजना में विशेषज्ञता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसमें (अल्पकालिक संविदा या प्रोन्नति भी सम्मिलित है) चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (अल्पकालिक संविदा या प्रोन्नति भी सम्मिलित है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पाब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सेवा करने वाले समुचित श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों। योजना आयोग के ऐसे संयुक्त निदेशकों के नामों पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों। यदि किसी संयुक्त निदेशक का उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होगा	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 द्वारा यथा अपेक्षित।

[फा० सं० ए०-12018/10/72-प्रशासन-1 ए०]

नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 1975.

G.S.R. 454.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Social Services) in the Planning Commission, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Planning Commission, Director (Social Services) Recruitment Rules 1975.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay : The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc : The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications : No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Schedule Castes and Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Director (Social Services) in the Planning Commission.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Director (Social Services)	1	General Central Services Class I Gazetted	Rs. 1300-60-1600-100-1800	Not Applicable	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants).	Essential : (i) Master's degree in Social Sciences of a recognised University or equivalent. (ii) 10 years' experience of conducting and guiding research including adequate knowledge of planning concepts, techniques and procedures particularly in the field of social services development. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). Desirable : (i) Doctorate in Social Sciences of a recognised University. (ii) Specialisation in planning for long term development in the field of Social Services

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by the various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its position	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age : No qualifications: Yes	2 years	By transfer on deputation (including short term contract) or promotion selection being made in consultation with the Union Public Service Commission, failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation : (including short term contract or promotion). Officers of the appropriate grade serving in the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits. The Joint Directors of the Planning Commission with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits shall also be considered. In case a Joint Director is selected for appointment to the post it shall be treated to have been filled by promotion. (Period of deputation or contract—ordinarily not exceeding 4 years).	Not Applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[F. No. A-12018/10/72-Adm-I(A)]

N. K. AGGARWAL, Under Secy.

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, 5 अप्रेल, 1975

शुद्धि-पत्र

सा० का० नि० 455.—भारत सरकार, संस्कृति विभाग संख्या जी० एस० आर० 1275 दिनांक 22 नवम्बर, 1974 की अधिसूचना, जोकि भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखंड (i) में दिनांक 30 नवम्बर, 1974 को पृष्ठ 2955 पर प्रकाशित हुई थी, उसके शुरु के पैराग्राफ की 5वीं पंक्ति में "1910" के स्थान पर "1970" पढ़ें ।

[सं० एफ० 12-10/74-सी०ए० 1(5)]

बलदेव महाजन, अवर सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, the 5th April, 1975

CORRIGENDUM

G.S.R. 455.—In the notification of the Government of India in the Department of Culture No. G.S.R. 1275 dated the 22nd November, 1974, published in the Gazette of India Part II Section 3 sub-section (i) dated the 30th November, 1974, at page 2955, in line 5 of the opening paragraph for "1910" read "1970".

[No. F. 12-10/74-CAI(5)]

BALDEV MAHAJAN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1975

(काफी नियंत्रण)

सा० का० नि० 456.—काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार काफी नियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को काफी (संशोधन) नियम, 1975 कहा जाये ।

(2) वे राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. काफी नियम, 1955 के नियम 2 के उप-नियम (2) तथा नियम 35 के उपनियम (5) के खंड (1) तथा (2) में "लेखा

अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे प्रयुक्त हुए हों, "मुख्य लेखा अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा० सं० 9(20)/69-प्लांट (बी०)]

एस० महादेव अय्यर, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 29th March, 1975

(Coffee Control)

G.S.R. 456.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Rules, 1955, namely :—

(1) These rules may be called the Coffe (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In sub-rule (2) of rule 2 and in clauses (i) and (ii) of sub-rule (5) of rule 35 of the Coffee Rules, 1955, for the words 'Accounts Officer', wherever they occur, the words 'Chief Accounts Officer' shall be substituted.

[F. No. 9(20)/69-Plant(B)]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

(निर्यात उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1975

सा० का० नि० 457.—चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959 में, खण्ड 21 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"21. छूट देने की शक्ति :—जहां अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि अनुसंधान की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए या प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिए चाय अपशिष्ट के उपयोग के लिए ऐसा करना लोक हित में आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, किसी चाय सम्पदा, अनुसंधान संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अनुज्ञप्तिधारी है या नहीं, इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों से छह मास की अवधि के लिए छूट दे सकेगा :

परन्तु जहां अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि ऐसी छूट पूर्वोक्त छः मास की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रभावी बनी रहनी चाहिए, वहां वह, समय समय पर, ऐसी छूट की अवधि को, ऐसी अवधि के लिए जो एक समय पर छः मास से अधिक नहीं होगी, बढ़ा सकेगा।"

[फा० सं० जे० 13012(3)/72-प्लांट (ए०)]

बी० पी० माथुर, उप-सचिव

(Department of Export Production)

New Delhi, the 3rd April, 1975

G.S.R. 457.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Tea Waste (Control) Order, 1959, namely :—

1. (1) This Oroder may be called the Tea Waste (Control) Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Waste (Control) Order, 1959, for clause 21, the following clause shall be substituted, namely :—

"21. Power to exempt.—Where the licensing authority is satisfied that having regard to the promotion of research or for the utilization of tea waste for experimental purposes, it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, exempt for a period of six months any tea estate, research organization or any other person, whether a licensee or not, from any of the provisions of this Order :

Provided that where the licensing authority is satisfied that such exemption should continue to have effect after the expiry of the period of six months aforesaid, it may, from time to time, extend the period of such exemption for such period not exceeding six months at a time."

[F. No. J-13012(3)/72-Plant(A)]

B. P. MATHUR, Dy. Secy.

टैरिफ आयोग

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1975

सा० का० नि० 458.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टैरिफ आयोग (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम टैरिफ आयोग (वर्ग 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. टैरिफ आयोग (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1959 की अनुसूची में, क्रम सं० 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
5-क नक्शानवीस	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)	330-10-380-ई०बी०-12-500 ई०बी०-15-560 ई०	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच

7	8	9	10	11	12
आवश्यक : 1. मैट्रिक या उसके समतुल्य। 2. रेखायंत्रण में डिप्लोमा वांछनीय : सरकारी कार्यालय में या किसी वाणिज्यिक फर्म में नक्शानवीस के रूप में पूर्व अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 22 (2) टार/75]

विद्या भूषण सोनी, अवर सचिव

Tariff Commission

New Delhi, the 31st March, 1975

G.S.R. 458.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Tariff Commission (Class III Posts) Recruitment Rules, 1959, namely :

1. (1) These rules may be called the Tariff Commission (Class III Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Tarriff Commission (Class III Posts) Recruitment Rules, 1959, after Serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be inserted', namely :—

1	2	3	4	5	6	7
5.A Draughtsman	1 (One)	General Central Service Class III (Non-gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 330-10-380-EB.-12-500-EB-15-560.	Not applicable	Between 18 and 25 years.	Essential : 1. Matriculation or its equivalent 2. Diploma in drawing. Desirable : Previous experience as Draughtsman in a Government Office or in a Commercial firm.

8	9	10	11	12
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable

[No. 22(2) Tar/75]

V. B. SONI, Under Secy.

कृषि व सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1975

सा०का०नि० 459.—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 3 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित पदार्थों को उक्त अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित करती है, अर्थात् :—

1. एक्रोलीन	2—प्रोपेनल या एक्रिलएल्डिहाइड।
2. एकटेलिक (पिरिमिफोस्मेथिल)	2—डाइएथिल-एमिनो-6-मेथिलपाइरिमिडिन-4-याइल-डिमेथिल फोस्फोरोथिओनेट।
3. एफ्यूगन	डाइएथिल मेथिल एथोक्सीकार्बोनिल पाइरेजोलोपिरिमिडीन-याइल-फोस्फोरोथिओनेट।
4. एलैक्लोर	2—क्लोरो-2', 7'—डाइएथिल-(मेथाक्सीमेथिल)—ऐसीटेनिलाइड।
5. एल्डिकार्ब	2—मेथिल—2 (मेथिलथायो) प्रोपिओनेल्डि—हाइड—0—(मेथिलकार्बोमिल) ओक्साइम।
6. एमिडिथिओन	एस—(एन—2—मेथौक्सिएथिल—कार्बोमोइल-मेथिल) डाइमेथिल फोस्फोरोथियोलोथिओनेट।
7. एमिट्रोल	3—एमिनो—1, 2, 4—ट्राइऐजोल।
8. अमोनियम सल्फामेट	अमोनियम सल्फामेट।
9. एसूलम	मेथिल—एन (4—एमिनोबेंजीन सल्फोनिल) कार्बोमेट।
10. एट्राजाइन	2—क्लोरो—4—एथिलैमिनो—6—आइसो-प्रोपिलेमिनो 1, 3, 5 ट्राइयाजाइन।
11. ओरियोफंजिन	ओरियोफंजिन।
12. एजिनफोस—एथिल	(3, 4 डाइहाइड्रो—4—ओक्सोबेंजो—(डी) 1, 2, 3)—ट्रायाजिन—3—याइल—मेथिल) डाइएथिल फासफोरोथि यूलायिमोनेट

13. बार्बन	4—क्लोरो–2–बाइनिल–3–क्लोरोफेनिल–कार्बोनेट।
14. बेरियम पोलिसल्फाइड	बेरियम पोलिसल्फाइड।]
15. बस्सा	0–सेकन्डरी–ब्यूटिल फेनिलयेथिलकार्बामेट
16. बी०सी०पी०ई० (क्लोर्फेनिथोल)	1, 1–बिस–(4–क्लोरोफेनिल) इथानॉल।
17. बेनोमिल	मेथिल–N–बेंजिमिडाजोल–2 याइल–N–(ब्यूटाइनियर–बोमोइल कार्बामेट)।
18. बेंसुलाइड	S—(0, 0–डाइ–आइसोप्रोपिल फोस्फोरोडाइथायोएट) एस्टर, N–(2–मर्केप्टोएथिल) बेंजीन सल्फोनेमाइड के साथ।
19. बिनापाक्रिल	2—(1–मेथिल–N–प्रोपिल)–4, 6–डाइनाइट्रोफेनिल–2–मेथिलक्रोटोनेट।
20. ब्रोमेसिल	5—ब्रोमो–6–मेथिल–3–(1–मेथिल] प्रोपिल) यूरेसिल।
21. ब्रोम्फाइराजन	5–एमिनो–4–ब्रोमो–2–फेनिलपिरिडे–जीन–3–एक।
22. ब्रोमोक्सिनिल	3, 5–डाइब्रोमो–4–हाइड्रोक्सिबेंजोनाइट्राइल।
23. ब्रोजोन	मेथिल ब्रोमाइड+पेट्रोलियम विलायक में क्लोरोपिक्रिन।
24. ब्यूटयूरन	3—(क्लोरोफेनिल)–1–मेथिल–1–(1–मेथिल प्रोप–2–याइनिल) यूरिया।
25. ब्यूटिलेट	S–एथिल–N, N–डाइआइसो ब्यूटिल-थायोकार्बामेट।
26. बक्स	N—(1–मेथिल ब्यूटिल) फेनिल मेथिल कार्बामेट और M–(1–एथिल प्रोपिल) फेनिल मेथिल कार्बामेट का मिश्रण।
27. कैडमियम पर आधारित यौगिक सल्फेट	(कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम सल्फेट कैडमियम सक्सिनेट)।
28. केप्टाफोल	N—(1, 1, 2, 2–टेट्राक्लोरोएथिल-थायो) साइक्लोहेक्स–4–एने–1, 2–डाइकार्बोक्सीमाइड।
29. कार्बोफ्यूरन	2, 3–डाइहाइड्रो–2, 2 डाइमेथिल–7–बेंजोफ्यूरानिल मेथिलकार्बामेट।
30. कार्बोफेनोथियम	S—(P–क्लोरोफेनिलथायो)–मेथिल)–0, 0–डाइएथिल फास्फोरोडाइथायोएट।
31. कार्बोक्सिन (डी०सी०एम०ओ०)	5, 6–डाइहाइड्रो–2–मेथिल–1, 4–ओक्सा-थियिन–3–कार्बोक्सानिलाइड।
32. चिनोमेथियोनेट	6—मेथिल–2–ओक्सो–1, 3–डाइथायो (4, 5–बी) क्विनोक्सलीन।
33. क्लोरेम्बेन	3—एमिनो–2, 5–डाइक्लोरोबेंजोनिक एसिड।
34. क्लोब्यूफम (सीआइ०पी०सी०)	1–मेथिल–2–प्रोपिनिल–M–क्लोरो–कार्बोनिलेट।
35. क्लोफेंविनफोस	2—क्लोरो–1 (2, 4–डाइक्लोरोफेनिल) विनाइल डाइएथिलफास्फेट।
36. क्लोरोमिक्वट क्लोराइड	(2–क्लोरोएथिल) ट्राइमेथिलेमोनियम क्लोराइड।
37. क्लोरोनेब	1, 4–डाइक्लोरो–2, 5–डाइमेथोक्सीबेंजाइन।
38. क्लोरोप्रोपेम	क्लोरोप्रोपेम।
39. क्लोरोक्यूरन	N'–4–(4–क्लोरोफेनोक्सी) फेनिल–NN–डाइमेथिल–यूरिया।
40. सिटिसाइड	क्लोरिनेटिड टरपेनो।
41. सिटोवेट्ट	एल्किलएरिपालिग्लाइकोलईथर।
42. क्लोनिट्रेलिड	5, 2–डाइक्लोरो–4–नाइट्रो–सेलिसिलिक-एनिलाइड–एथेनालऐमीन।
43. ताम्र हाइड्राक्साइड	ताम्र हाइड्राक्साइड।
44. कूमैफ्यूरिल	3—(ए–ऐसीटानिलफरफ्यूरील)–4–हाइड्रोक्सीसियूमेरिन।
45. कूमैफोस	3—क्लोरो–4–मेथिल–7–कूमैरिनिल डाइएथिल फास्फोरोथायोनेट।
46. कूमैटेट्रालिल	4—हाइड्रोक्सी–3–(1, 2, 3, 4–ट्रेटा-फिड्रो–1–नेफथिल) कूमैरिन।
47. कोयडेन	3, 5–डाइक्लोरो–2, 6–डाइमेथिल–4-पाइरिडाइनोल।
48. सी०पी०ए०एस०	4—क्लोरोफेनिल 2, 4, 5–ट्राइक्लोरो-फेनिलेजो–सल्फाइड।
49. साइक्लोमार्फ	N—साइक्लोडोडेसिल 2, 6–डाइमेथिल–मार्फोलिन एसेटेट।
50. साइक्ल्यूरन (ओ०एम०यू०)	N'–साइक्लो–ओक्टील–N–N–डाइ-मेथिल–यूरिया।
51. सिट्रोलेन	2—(डाइथौक्सी फोस्फिसिलिमिनो)–4–मेथिल–1, 3–डाइथियोलेन।
52. डिकार्बोफ्यूरन	2, 3,–डाइहाइड्रो–2–मेथिलोबेंजोफ्यूरन–7–याइल–मेथिल कार्बामेट।
53. डेकाजोलिज	1—(एल्फा, एल्फा–डाइमेथिल–बीटा–एसेटौक्सीप्रोपियोनिल)–2–आइसो-प्रोपिल–2, 4–डाइमौक्सो डेकाहाइड्रो-क्विनाजोलाइन।
54. डी०ई०ई०टी०	N, N–डाइएथिल–M–टालुएमाइड।
55. डाइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन	1, 2–डाइब्रोमो–3–क्लोरोप्रोपेन
56. डाइकेम्बा	3, 6–डाइक्लोरो –2–मथोक्सीबेंजोइक एसिड
57. डाइक्लोबेनिल	2, 6–डाइक्लोरोबेंजो नाइट्राइल
58. डाइक्लोफेंथायोन	0–(2, 4–डाइक्लोरोफेनिल) 0, 0–डाइएथिल फोस्फोरोथायोएट
59. डाइक्लोन	2, 3–डाइक्लोरो–1, 4–नेफ्थोक्विनोन
60. डाइक्लोरोप्रोपेन	1, 3–डाइक्लोरोप्रोपेन
61. डाइक्लोरन	2, 6–डाइक्लोरो–4–नाइट्रोएनिलीन
62. डाइकोफोल	2, 2, 2–ट्राइक्लोरो–1, 1–डाइ–(4–क्लोरोफेनिल) एथानाल

63. डाइक्रोटोफीस	(E)-3. हाइड्रोक्सी-N, N-डाइमथिल-सिस-क्रोटोनमाइड डाइमथिल फास्फेट के साथ डाइमथिल फास्फट एस्टर
64. 2, 4-डी बी	4-(2,4--डाइक्लोरोफनौक्सी) ब्यूटि-रिक एसिड
65. डाइफैफोस (एबैट)	0, 0, 0′, 0′-टेट्रामथिल 0,0′-थायोडाइ-P-फमिलीम फोस्फोरोथायोएट
66. डाइकार	डाइथन M-45 और तकनीकी करायेन का सम्मिश्रण
67. डाइमस (एलार)	N-डाइमथिलेमिनो सक्सिनिक एसिड
68. डाइनौक्स	2, 4-डाइनाइट्रो-6-ग्राक्टो-फिनिल क्राटो-नैटस के 4 और 5 भागों का 2, 6-डाइनाइट्रो-4- आक्टिलफैनिल क्राटो-नेट्स के आइसोमर के 2 भागों के साथ सम्मिश्रण
69. डाइनौसब	2, 4-डाइनोइट्रो -6- S- ब्यूटिलफेनोल
70. डाइनौसब एसीटेट	2, 4-डाइनाइट्रो -6- S- ब्यूटिलफेनोल एसीटेट
71. डाइग्रौक्साथायोम	S-S-1, 4-डाइग्रौक्सन-2, 9-यलिडेन (बिस) 0, 0-डाइएथिल फोस्फोरोथि-योलोथायोनट
72. डाइफेसिनौन	2-डाइफिलसटिल 1, 3-इन्डनेडाइयोन
73. डाइफनामिड	NN-डाइमथिल -2, 2-डाइफनिलएसे-टामाइड
74. डाइसल्फोटन	डाइएथिल S (2-(एथिलथायो) एथिल) फोस्फोरोथियोलोथायोनेट
75. डाइयूरन	N-3, 4--डाइक्लोरोफनिल)-NN-डाइमथिलयूरिया
76. डी०एम०पी०ए०	O-(2, 4-डाइक्लोरोफेनिल) 0′ मेथिल N-आइसोप्रोपिल-फास्फोरो-एमिडाइथायोएट
77. डोडाइन	डोडेसिलगुएनिडाइन - मौनोएसीटट
78. डोडोमार्फ	4-साइक्लोडोडसिल -2, 6-डाइमथिल-मार्फोलाइन
79. ड्रट (क्लोरोफसिनौन)	2-(AP-क्लोरोफेनिल-- a फेयलसीटिल) इन्डन-1, 3-डाइयौन
80. डी०एस०एम०ए०	डाइसोडियम मीथेनग्रासोनैट
81. डर्सबन	0, 0-डाइएथिल 0-(3, 5,6-ट्राइक्लौरो-2-पिराइडिल) फास्फोरोथायोएट
82. डस्टिंग सल्फर	
83. एडाइफेन्फोस	0-एथिल-S, S-डाइफनिल-डाइथायो-फास्फेट
84 एन्डोसल्फन	6,7,8,9,10, 10-हैक्साक्लोरो-1, 5,5a, 6-9,9 a -हैक्साहाइड्रो-6, 9-मथैनो-2, 4, 3-बैंजों (e)-डाइग्रौक्साथियेपिन-3-ग्रौक्साइड
85. एन्डोथाल	7-ग्रोक्साबाइसिलो (2, 2, 1) हेप्टेन -2, 3-डाइकार्बोक्सीलेट

86. ई०पी०टी०सी०	S-एथिल-डाइप्रोपिलथायोकार्बामेट
87. एर्बन	2-(2, 4, 5-ट्राइक्लोरोफेनौक्सी) एथिल 2, 2-डाइक्लोरो प्रोपियोनेट
88. इथियोन	टेट्राएथिल SS″ मथिलीन बिस (फोस्फो-रोथियोलीथायोनेट)
89. एथेरेल	2--क्लोरोइथेन फास्फोनिक एसिड
90. फनक	सोडियम 2,3,6--ट्राइक्लौरोफेनिलसीटट
91. फनाजोफलोर	फैनिल 5, 6--डाइक्लोरो-2--ट्राइ-फ्लूरोमथिल बैंजिमिडाजोल-1-कार्बो-क्सीलट
92. फनिट्रोथियन	डाइमैथिल 3--मैथिल-4--नाइट्रोफैनिल फासफोरोथायोनेट
93. फन्सल्फौथियन	डाइएथिल 4--(मैथिल सरिफनिल) फेनिल फास्फोरोथायोनैट
94. फैटिनसीटेंट	ट्राइफनिलटिन एसीटेट
95. फैटिन-क्लोराइड	ट्राइफनिल टिन क्लोरोइड
96. फैटिल-हाइड्रोक्साइड	ट्राइफेनिल टिन हाइड्रोक्साइड
97. फौलैक्स	SSS--ट्राइब्युटिल फास्फोरोट्राइथायोएट
98. फार्मौथियन	S--(N--फार्मिल--N--मथिलका-र्बामोयल मैथिल) 00--डाइमथिल फास्फोरोडाइथायोएट
99. फोनोफोस (डिफोनट)	0--एथिल-S-फेनिल एथिल फास्फोरोडाइथायोएट
100. फ्यजिथियन	0,0--डाइमेथिल- s-पेराक्लोरोफेमिल फास्फोरोथायोएट
101. गिब्बरेलिस	गिब्बरेलिक एसिड
102. हर्बन	3-(5 (3a, 4,5,6,7,8,8a-हैक्सा-हाइड्रो--4, 7--मेथानयिनडनिल) --1, 1-डाइमेथिल यूरिया
इन्डोल एसैटिक और ब्यूटिरिक एसिड्स	इन्डोल एसटिक एसिड, इन्डोल ब्यूटिरिक एसिड
104. आइग्रोक्सीनिल (टैट्रोल)	2, 5-डाइ-आयोडो-4-हाइड्रोक्सी बैंजोनाइट्रिल
105. आइसोबैंजन	1,3,4,5,6,7,7, 7--ग्रोक्टोक्लोरो-1, 3,3a, 4, 7, 7a--हैक्साहाइड्रो-4. 7, मैथनोआइसो-बैंजोफ्यूरिन
106. आइसोनोन्यूरन	N (हैक्साहाइड्रो-4, 7, मिथेनोइन्डन-1-याइल)-NNडाइमेथिल यूरिया
107. किटाजिन	0-0-डाइआइसोप्रोपिल-s--बैंजोइल थायोफास्फट
108. लेनासिल	3--साइक्लोहैक्सिल-5, 6--ट्राइमथिले-न्यूरेसिल
109. लाइन्यूरन	N--(3, 4--डाइक्लोरोफेनिल) -N-मेथोक्सी--N-मथिलयूरिया
110. ल्यूसेल	5,6,7,8--टैट्राक्लौरोक्विननौक्सालाइन
111. मचेटे (ब्यूटक्लोर)	(2--क्लौरो-2′, 6′--डाइएथिल-N-(ब्यूटौक्सीमेथिल)--एसीटेमिलाइड

112. एम०सी०पी०बी०	4--(4--क्लोरो-2-मैथिलफेनौक्सी) ब्यूटिरिक एसिड
113. मैनालन	S--(4, 6--डाइएमीनो-1, 3, 5--ट्राइएज़िन--2--बाइल मेथिल) डाइमैथिल फास्फोरोथायोलोथायोनेट
114. मैथामिडोफॉस	थिफास्फोरिक एसिड का O--S--डाइमेथिलनेस्टर एमाइड
115. मेटम सोडियम	N--मैथिल डाइथा (योकार्बामिक एसिड)
116. मैथोमिल	S--मैथिल N--(मैथिलकार्बामोयल औक्सी) थायोएसेटिमाइडेट
117. मथिलमेटिरम	Zn--(N[1] N-1, 2-प्रोपिलेनेबिस--(डाइथायोकार्बामेट) और N[1], N--पोलि -1, 2--प्रोपिलीन-बिस (थायोकार्बामोयल)-डाइ-सल्फिलड सहित अमोनियम कम्पलेक्स
118. मेटिरम	Zn--(N[1], N-1,2--एथिलनेबिस--(डाइथायोकार्बामेट) और N[1], N पोलि--1, 2-प्रोपिलीन--बिस (थायोकार्बामोयल) - डाइ-सल्फिड सहित अमोनियम कम्पलक्स
119. मैटोक्स्यूरन	N[1]--(3-क्लोरो-4-मैथोक्सीफेनिल) --N, N-डाईमेथिल यूरिया
120. मैविन्फोस	2--मैथोक्सी कार्बोनिल -1- मैथिल वाइनिल डाइमेथिल फास्फेट
121. एम०आई०पी०सी०आई० एन०	2-आइसोप्रोपिल्फेनिल-N- मैथिल कार्बामेट
122. मोकैप	O-एथिल S, S--डाइप्रोपिल फास्फोरो-डाइथायोएट
123. मौलाइनेट	S-एथिल-N- हेक्साहाइड्रो-1-एजैपिने-थियो--कार्बामेट
124. मोनोक्रोटोफोस	3-हाइड्रोक्सी--N--मैथिल -- क्रोटोनामाइड डाइमैथिल फास्फेट
125. मोनोलिन्यूरन	N-(4 - क्लोरोफेनिल)--N- मैथोक्सी-N--मैथिल यूरिया
126. एम०एम०एम०ए०	मोनोसोडियम मेथैनियरसोनेट
127. नालेड	1, 2 --डाइब्रोमो- 2. 2--डाइक्लोरोएथिल डाइमेथिल फास्फेट
128. नैपिथलऐसीटिक एसिड	नैपिथलऐसीटिक एसिड और इसके व्युत्पन्न
129. नैबूयूरन	1-ब्यूटिल-3-3 (3, 4-डाइक्लोरो-फेनिल)-1-मैथिल यूरिया
130. नेपाफोस (थायोनाजिम)	O, O-डाइएथिल O-2 पिरेज़िनिल फास्फो-रोथियाएट
131. न्योपिनामिन	3, 4, 5, 6-टेट्राहाइड्रो-फूथालिमाइडोमेथिल क्राइसेन्थेमेट
132. निकेल क्लोराइड	निकेल क्लोराराइड
133. नाइट्रोफेन	2, 4-डाइक्लोरोफेनिल 4-नाइट्रोफेनिल ईथर
134. ओमेथोएट	डाइमैथिल S (N-मैथिल-कार्बामोयिल-मेथिल) फास्फोरोथायोएट
135. ओरथेन	O, S-डाइमेथिल N--एसीटिल फास्फोरे-मिडोथायोएट
136. ओक्सापिरेजन	2 डाइमैथिल एमिनो-एथानोल (1, 1) सहित (5-ब्रोमो-1, 6-डाइहाइड्रो-6- ओक्सो-1-फेनिल-4-पाइरिडाज़िनिल ओक्सैमिक एसिड-यौगिक
137. ओक्सीकार्बाक्सिन (डी०सी०एम०ओ०डी०)	5, 6-डाइहाइड्रो-2-मेथिल- 1, 4-ओक्साथिइन-3-कार्बाक्सेनिलाइड 4, 4-डाइऔक्साइड
138. पैराक्वेट	1, 1--डाइमेथिल --4, 4-पाइपिरिडिलियम आइयोन
139. पेब्यूलेट	3-प्रोपिल --ब्यूटिल --एथिलथायोकार्बामेट
140. फैंथोएट	S-a-एथोक्सी कार्बोनिल बैंजिल- 0,0-डाइमैथिल फास्फोरोडाइथायोएट
141. फोरेट	डाइएथिल S-(एथिलथायो मैथिल) फास्फोरोथियोलोथायोएट
142. फोसालोन	S (6-क्लोरो-2-ओक्सा बैंजोक्साजोलिन-3- बाइल)-मेथिल-0, 0 डाइएथिल-फास्फोरो-डाइथायोएट
143. फास्फामिडन	2-क्लोरो -2-डाइएथिल कार्बामोइल -1-मैथिल वाइनिल डाइमैथिल फास्फेट
144. फास्फोरस पेस्ट	फास्फोरस पेस्ट
145. फास्फेट (इमिडन)	0, 0 डाइमेथिल-S-फूथालिमाइड-मैथिल फास्फोरोडाइथायोएट
146. फास्वैल (लैप्टोफास)	0-(2, 5 डाइक्लोरो-4-ब्रोमोफेनिल) 0-मैथिल फैनिलथायोफास्फोरेट
147. फाक्सिम	फेनिलग्लाइऔक्सिलो नाइट्राइल ओक्साइम 0, 0-डाइएथिल फास्फोरोथायोएट
148. पाइक्लोरम	4-एमिनो-3, 5, 6-ट्राइक्लोरो पाइको-लिनिक एसिड
149. प्लाइक्ट्रन	ट्राइसाइक्लोहैक्सिल टिन हाइड्रोक्साइड व्युत्पन्न
150. प्रोनेमाइड (कर्म)	3, 5--डाइक्लोरो --N- (1, 1--डाइ-मैथिल-2 प्रोपिनिल (बैजामाइड)
151. प्रोपेनिल	3, 4--डाइक्लोरो प्रोपायोने निलाइड
152. प्रोपरजाइट (ओमाइट)	प्रोप-2-वाइनिल-2-(4-t- ब्यूटिल फैनीक्सी)-साइक्लोहैक्सिल सलफाइट
153. प्रोपिनेब	जिंक प्रोपिलीन बिसडाइथायोकेटबामेट (पोलिमैरिक)
154. प्रोपोक्सर	O-आइसोप्रोपौक्सीफेनिल मैथिल कार्बामेट
155. प्रिनेक्लोर	N-ब्यूटिन-(1) y,--(3)-क्लोरोएसे-टेनीलाइड
156. पिराकार्बोलिड	2-मैथिल- 5, 6-डाइहाइड्रो- 4-N-पिरन --3--काबौसीलिक एनिलाइड
157. पिरेजन (पी०सी०ए०)	5-एमिनो- 4- क्लोरो- 2-फैनिल - 3-पिराइडाजोन
158. क्विनलफोस	O, O-डाइएथिल क्विनौक्सालिन-2-बाइल फास्फोरोथायोएट
159. रेबिसाइड	4, 5, 6, 7-टेट्राक्लोरोफ्थालाइड
160. रो--नीट	S-एजिल N एथिल N साइक्लो हैक्सिल थायोलकार्बामेट

161. रोन्नेल	0, 0-डाइमैथिल 0- (2, 4, 5-ट्राइक्लोरो फेनिल) फास्फोरोथायोएट
162. S—421	ओक्टाक्लोरो डाइप्रोपिल -ईथर
163. स्क्लेक्स	3-(3-5-डाइक्लोरो फेनिल)-5, 5-डाइमैथिल ओक्साजोलि डाइनडायोन-2, 4
164. सिमाजाइन	2-क्लोरो-4, 6-बिस (एथिल एमिनो)--- ट्राइएजाइन
165. सिडोल ए	1, 1-डाइमेथिल-4, 6-डाइ-आइसो प्रोपिल-5-इन्डेनिल एथिल कीटोन
166. सिडोल बी	1, 1, 4-ट्राइमैथिल-6-आइसोप्रोपिल-5-एन्डेनिल एथिल कीटोन
167. सिमेंट	3, 4-और 2, 3 डाइक्लोरोबेंजिल N-मैथिल कार्बामेट
168. स्वेप	मैथिल 3, 4 डाइक्लोरोकार्बा-नाइलैट
169. टार एसिड	कम्पलैक्स फेनोलिक योगिक या टार आयल या क्रिओसोटस
170. टेक्रन	2, 2, 2-ट्राइक्लोरोएथिल स्ट्राइरीन *
171. टैक्नेजीन	1, 2, 4, 5-टैट्राक्लोरो-3-नाइट्रोबेंजीन
172. टैर्बासिल	3-t-ब्यूटिल-5-क्लौरो-6-मैथिलयूरेसिल
173. टेट्राक्लोर विनफास (गार्डोना)	2--क्लोरो-1-(2, 4, 5-ट्राइक्लोरोफेनिल विनाइल डाइमेथिल फास्फेट
174. टेट्रम	0, 0-डाइएथिल S---(2-डाइएथिलएमिनो एथिल फास्फोरोथायोएट हाईड्रोजन ओक्सालेट
175. 2, 4, 5—TB	4—(2, 4, 5-ट्राइक्लोरोफेनोक्सी) ब्यूटरिक एसिड
176. थाइएडिएजिमथायोन (टेरकिर)	5—कार्बक्सीमैथिल -3--मेथिल -2-N 1, 3, 5-थाइएडिया-जाइन-2-थियोम
177. थायोफेनेट-M	1,2-डाइ (3-मैथोक्सी-कार्बानिल-2-थायोयूरेमाइड बेंजीन
178. ट्रिमिल	एक्सी-3-क्लोरो-एन्डो-6-सियानी -2-नार्बनिनोन-0-(मैथिल कार्बमोइल) ओक्साइम
179. ट्राइऐलेट	3-2, 2, 3-ट्राइक्लोरोएलिल डिस-आइसोप्रोसिल थायोकार्बामेट।
180. ट्राइडेमार्फ	2, 6-डाइमैथिल-4-ट्राइडेसिल मार्फोलाइन
181. टयुमिक	2,-(3, 4-डाइक्लोरोफेनिल) -4-मैथिल-1, 2, 4-ओक्साडाइएजोलिडाइन-3, 5-डाइयॉन
182. यूडोकोर	N-(बेटा साइएनोथिल) मोनोक्लोरो-एसेटामाइड
183. वेमिडोथियन	0, 0-डाइमेथिल-S-(2- 1-मैथिल-कार्बामोईल-L एथिल-थार्यो) एथिल फास्फोरोयोएट
184. वेजीटा	एथिलीन थाइयूरेम मोनोसल्फाएड
185. वर्नालेट	S-प्रोपिल N N-डाइप्रोपिल थायोलकार्बमेट
186. जैन्कट्रन	4-डाइमैथिलएमिनो -3, 5-बिसलिल- N-मेथिल कार्बामेट
187. बेसेग्रन	3-आइसो प्रोपिल-1 N-2, 3,-बैंजोथाया-डाइकिसन-4 (3 N)-एक 2, 2-डाइओक्साइड
188. बेंसेलिन	N-(2-क्लोरेएथिल) -N- -प्रोपिल-ट्राइफ्ल्युओरो-2, 6, डाइनाइट्रो-p-टोल्यूआइडीन
189. बैविस्टिन	2-(मेथोक्सी-कार्बामोइल)-बेंजीमाइडेजोल
190. केम्पोग्राम- M	2, 5-डाइमेथिल-फ्यूरन 3-कार्बोनिक एसिड एनिलाइड और 320 ग्राम I किलोग्राम (जिंक)
191. ट्राइफ्ल्यूरेलिन	2, 6-डाइनाइट्रो-N N---डाइप्रोपिल-4-ट्राइफ्ल्यौरोमेथिल एनिलाइन
192. फ्ल्यूमेटयूरन	N---(3-ट्राइफ्ल्यूरो---मोथिल फेनिल) ---N^1-N^1---डाइमेथिल-यूरिया
193. मेटाब्रोम्यूरन	N—(P-ब्रोमोफेनिल)---N^1---मैथिल------N^1---मेथाक्सीयूरिया
194. मेंकोजेब	जिंक---मेगानीज एथिलीन---बिस---डाइथायोकार्बामेट

[फा० सं० 22-18/72-पी० पी० एस०]

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव

सिंचाई विभाग

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1975

सा० का० नि० 460.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माही नियंत्रण बोर्ड में वर्ग III और वर्ग IV पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम माही नियंत्रण बोर्ड (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का सामाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. कार्यालय अधीक्षक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	550-20-650-25-750 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. आशुलिपिक	दो	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	330-10-380-द०रो० 12-500-द०रो०- 15-560 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति/सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, जिसके न होने पर केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन, ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायकों/प्रधान लिपिकों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों में, सदृश पद धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. उच्च श्रेणी लिपिक	सात	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अनुसचिवीय अराजपत्रित।	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले उपर्युक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न होने पर केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन, ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से प्रतिनियुक्ति द्वारा (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. निम्न श्रेणी लिपिक	छह	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III, अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	260-6-290-द०रो०-6-326-द०रो०-8-390-10-400रु०	लागू नहीं होता।	25 वर्ष	(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता। (ii) टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति: परन्तु :— (क) जिस व्यक्ति के पास टाइपिंग में उपर्युक्त अर्हता न हो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि जब तक कि वह टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति अर्जित नहीं कर लेता तब तक वह वेतनमान में वृद्धियां लेने या ग्रेड में स्थायीकृत् घोषित किए जाने का पात्र नहीं होगा। (ख) कोई शारीरिक असुविधाग्रस्त व्यक्ति जो अन्यथा लिपिकीय पद धारण करने के लिये अर्हित है किन्तु जिसके पास टाइपिंग में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय से संलग्न बोर्ड, और जहां ऐसा कोई बोर्ड नहीं है वहां सिविल सर्जन, यह प्रमाणित करे कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टाईप कर सकने की योग्य स्थिति में नहीं है।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(क) 90% प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 10 प्रतिशत रिक्तियां नियमित स्थापन के वर्ग IV कर्मचारियों में से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये भरी जाएंगी, अर्थात् :— (i) चयन ऐसी विभागीय परीक्षा द्वारा किया जायेगा जो ऐसे वर्ग IV सेवकों तक सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षाएं पूरी करते हैं, अर्थात् किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा। (ii) इस पद्धति से भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, निम्न श्रेणी लिपिकों के काडर में उस वर्ष में रिक्त होने वाली रिक्तियों की 10% तक सीमित होगी, किसी वर्ष की बिना भरी हुई रिक्तियां अगले वर्ष के लिये अग्रेनीत नहीं की जाएंगी; तथा (iii) इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये 50 वर्ष) होगी। (iv) वर्ग IV में कम से कम पांच वर्ष सेवा।	(क) 90% केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले उपर्युक्त अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा। (ख) 10% रिक्तियां उन वर्ग कर्मचारियों में से जिनके नाम नियमित स्थापन में हैं, स्तंभ 10 में कथित अर्हताओं के अधीन रहते हुये भरी जायेंगी (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. चपरासी	पाँच	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग IV, अराजपत्रित	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष	आठवीं कक्षा पास।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में समतुल्य या सदृश पदों से प्रतिनियुक्ति पर ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जिनके पास स्तंभ 7 में कथित अर्हता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 2/75-फा०सं० 17(24)/74-वि०का०-1]

के० आर० एस० आचार्य, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Irrigation)

New Delhi, the 31st March, 1975

G. S. R. 460.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class III and Class IV posts in the Mahi Control Board namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Mahi Control Board (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazetted.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay :—The number of the said posts their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment age limit qualifications etc. :—The method of recruitment to the said posts age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for the Posts in the Mahi Control Board of the Ministry of Agriculture and Irrigation

(Department of Irrigation)

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Office Superintendent	One	General Central Service, Class III Ministerial, Non-Gazetted	Rs. 550-20-650-25-750	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2. Stenographer	Two	General Central Service, Class III Ministerial Non-Gazetted	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation of suitable officers holding analogous posts in the Central/ State Government offices, failing which, of Assistants/ Head-Clerks with three years regular service in the grade under Central/State Government (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	Not applicable.
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation of suitable officers holding analogous posts in the Central/State Government departments/offices (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
3. Upper Division Clerk	Seven	General Central Service, Class III, Ministerial Non-Gazetted	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable	Not applicable	Not applicable.
4. Lower Division Clerk	Six	General Central Service, Class III Ministerial Non-Gazetted	Rs. 260-6-290-EB-6-326-EB-6-390-10-400.	Not applicable	25 years	(i) Matriculation or equivalent. (ii) Minimum speed of 30 words per minute in typewriting provided :— (a) A person not possessing the above qualification in typing may be appointed subject to the condition that he shall not be eligible to draw increments in the pay-scale or for quasi-permanency declaration in the grade till he aquires a speed of 30 words per minute in typing. (b) A physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Board attached to the special employment exchange for the handicapped and where there is no such Board the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	By deputation of suitable officers holding analogous posts in Central/State Government offices, failing which from posts of Lower Division Clerk with five years regular service in the grade under Central/State Government (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	Not applicable.
Not applicable	2 years	(a) 90% by transfer on deputation, failing which by direct recruitment. (b) 10% of vacancies to be filled from amongst Class IV employees borne on the regular establishment subject to the following condition, namely:— (i) Selection would be made through a departmental examination confined to such class IV servants as fulfil the requirements of minimum educational qualifications viz., matriculation or equivalent of a recognised University/ Board. (ii) The maximum number of recruits by this method shall be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occuring in a year; unfilled vacancies in any year shall not be carried forward to the next year; and (iii) The maximum age for appearing in this examination shall be 45 years (50 years for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes candidates). (iv) At least five years service in Class IV.	(a) 90% by transfer on deputation from suitable officers holding analogous posts under the Central/State Governments offices. (b) 10% of the vacancies to be filled from amongst the Class IV employees borne on regular establishment subject to the qualifications stated in column 10. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
5. Peon	Five	General Central Service, Class IV Non-Gazetted	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	25 years	Class VIII Pass

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two Years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	By transfer on deputation from equivalent or analogous posts in the Central/ State Government departments/offices, who possess qualification stated in Column 7 (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	Not applicable.

[No. 2/75-F. No. 17(24)/74-DW-I]
K.R.S. ACHARYA, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1975

सा० का० नि० 461.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) के अधीन सलाल जल विद्युत परियोजना में कतिपय वर्ग I राजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम सलाल जल विद्युत परियोजना (वर्ग I पद) भर्ती नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना:—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं:—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियातों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रशासनिक अधिकारी	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग I, राजपत्रित	700-40-900-द०रो०-40-1100-50-1300 रु० (पुनरीक्षित वेतनमान)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. श्रम अधिकारी	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग I, राजपत्रित	700-40-900-द०रो० 40-1100-50-1300 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन्ह परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 350-900 रु० या 325-575 रु० या 210-530 रु० के संशोधन पूर्व वेतनमान में या समतुल्य पदों पर कम-से-कम क्रमशः 3 वर्ष या 8 वर्ष सेवा की हो और जो प्रशासनिक या सहबद्ध विषयों में अनुभव रखते हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन ।
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम अधिकारी पुल के अधिकारी या राज्य सरकारों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन ।

[सं० 8/75-फा० 12/2/74-प्रशा० 4]

एल० सी० गर्ग, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 2nd April, 1975

G.S.R. 461.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain class I Gazetted posts in Salal Hydro-electric Project under the Ministry of Energy (Department of Power) namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Salal Hydro-electric Project (Class I Posts), Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected there with shall be as specified in column 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Administrative Officer	1 (One)	General Central Service, Class I Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300 (Revised Scale)	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2. Labour Officer	One	General Central Service, Class I, Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Cicumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers under the Central or State Government holding analogous posts or with at least 3 years' service or 8 years' service respectively in posts in the pre-revised scale of Rs. 350-900 or Rs. 325-575 or Rs. 210-530 or equivalent and possessing experience of administrative and allied matters. (Period of deputation : ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers from the Labour Officers Pool under the Ministry of Labour or officers holding analogous posts under the State Governments. (Period of deputation : ordinarily not to exceed three years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation), Regulations, 1958.

[N. 8/75-F. 12/2/74-Adm. IV]

L. C. GARG, Under Secy

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1975

सा०का०नि०. 462.—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 31 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये 1 मई, 1975 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 के नियम 72 के उपनियम (2) और नियम 84 के उपनियम (2) और (3) में "25 रु०" अंकों और अक्षर के स्थान पर "50 रु०" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं० 14/5/73-सी०आई०]

कैलाश प्रकाश, निदेशक (डाक तकनीकी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 3rd April, 1975

G.S.R. 462.—In exercise of the powers conferred by section 31 and 32 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government thereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933 namely :—

(1) These rules may be called the India Post Office (Second Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of May 1975.

2. In sub-rule (2) of rule 72 and in sub-rules (2) and (3) of rule 84 of the Indian Post Office Rules, 1933, for the letters and figures "Rs. 25", the letters and figures "Rs. 50" shall be substituted.

[No. 14/5/73-CI]

KAILASH PRAKASH, Director (Postal Technical)

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1975

सा० का० नि० 463.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (1) और धारा 35 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचीन पत्तन (पत्तन शोध्य और अन्य प्रभार) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कोचीन पत्तन (पत्तन शोध्य और अन्य प्रभार) नियम, 1975 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. कोचीन पत्तन (पत्तन शोध्य और अन्य प्रभार) नियम, 1958 की अनुसूची में शीर्षक "खण्ड 1 पत्तन शोध्य" और तद्धीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा० सा० पी० जी० एक्स-14/74]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 25th March, 1975

G.S.R. 463.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 and sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Port of Cochin (Port Dues and other Charges) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Port of Cochin (Port Dues and other Charges) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Schedule to the Port of Cochin (Port Dues and other Charges) Rules, 1958, the heading "Section I—Port Dues" and the entries thereunder shall be omitted.

[F. No. PGX-14/74]

शुद्धि-पत्र

सा०का०नि० 464.—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 30 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2959 से 2960 पर प्रकाशित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1277, तारीख 15 नवम्बर, 1974 पृष्ठ 2960 पर मद (ii) में 'अपवाद" शीर्षक के नीचे "सिवाय जो उस प्रयोजन के लिए या मरम्मत के लिए आवश्यक हो" शब्दों के स्थान पर "सिवाय जो मरम्मत के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो" शब्द पढ़े ।

[फा० सं० पी० जी० एक्स-14/74-2]

CORRIGENDA

G.S.R. 464.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 1277, dated the 15th November, 1974, published in Part II, Section 3, sub-section (i) at pages 2959-2960 of the Gazette of India, dated the 30th November, 1974, on page 2960, under the heading "Exception", in item (ii) for "purpose or", read "purpose of".

[F. No. PGX-14/74-II]

सा०का०नि 465.—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) पृष्ठ 2957-2958 पर प्रकाशित, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) में भारत सरकार की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1278 तारीख 15 नवम्बर, 1974, पृष्ठ 2957 पर अनुसूची में, मद (छ) के सामने उप-

शीर्षक "अन्य जलयान" के नीचे शीर्षक "मार्गदर्शन" के नीचे "5.00 प्रति जलयान" के स्थान पर—

"5.00 प्रति पोत

10.00 पोत से भिन्न प्रति जलयान" पढ़े।

(फा० सं० पी० जी० एक्स०-14/74-3)

G.S.R. 465.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 1278, dated the 15th November, 1974, published in Part II, Section 3, sub-section (i) at pages 2957-2958 of the Gazette of India, dated the 30th November, 1974 on page 2957, in the Schedule against item (g) under the sub-heading "Other vessels" under the heading "Pilotage" for "5.00 Per Ship" read.

"5.00 Per Ship

10.00 per vessel other than ship".

[F. No. PGX-14/74-III]

सा०का०नि 466.—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1), तारीख 30 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2963 पर प्रकाशित नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) में भारत सरकार की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 280, तारीख 15 नवम्बर, 1974 में "खण्ड 1—पत्तन शोध्य तथा उनके अधीन प्रविष्टियों" का लोप करें ।

[फा० सा० पी० जी० एक्स-14/74-4]

G.S.R. 466.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 1280, dated the 15th November, 1974, published in Part II, Section 3, sub-section (i), at page 2963 of the Gazette of India, dated the 30th November, 1974, omit "Section 1—Port Dues and the entries thereunder"

[F. No. PGX-14/74-IV]

सा० का० नि० 467.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, कांडला पत्तन पत्तननयन (फीस) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कांडला पत्तन पत्तननयन (फीस) संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कांडला पत्तन पत्तननयन (फीस) नियम, 1968 में, नियम 8 के पश्चात के टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

टिप्पण :—इन नियमों के अन्तर्गत उदग्रहणीय सभी फीसों पर 50 प्रतिशत अधिभार उदग्रहीत किया जाएगा ।"

[फा० सं० पी० जी० आर०-41/74-1]

G.S.R. 467.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Kandla Port Pilotage (Fees) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Kandla Port Pilotage (Fees) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Kandla Port Pilotage (Fees) Rules 1968, for the Note after rule 8 the following Note shall be substituted, namely :—

"Note :—A surcharge of 50 per cent shall be levied on all the fees leviable under these rules.".

[F. No. PGR-41/74-I]

सा० का० नि० 468.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1212, तारीख 5 नवम्बर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "टिप्पण," उप-शीर्षक के अन्तर्गत, मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपरोक्त मद (1) और (2) में की दरों पर 25 प्रतिशत अधिभार साथ ही मूल दर के योग पर 50 प्रतिशत और अधिभार उदग्रहीत किया जाएगा ।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा० सं० पी० जी० आर०-41/74-2]

G.S.R. 468.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 1242, dated the 5th November, 1973, namely :—

In the Schedule to the said notification, under the sub-heading "Notes", for item (2), the following item shall be substituted, namely:

"(2) A further surcharge of 50 per cent shall be levied on the aggregate of basic rate plus 25 per cent surcharge on the rates in iems (i) and (ii) above."

This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. PGR-41/74-II]

सा० का० नि० 469.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति को पश्चातवर्ती तारीख से उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, निम्नलिखित परिवर्तन और वृद्धियां करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, "भाग 4-कच्छ", के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 4—कच्छ

पत्तन का नाम	प्रभार्य जलयान	पत्तन देय की दर	एक ही जलयान की बाबत देय कितनी बार प्रभार्य है
काण्डला	10 टन और उससे अधिक के समुद्रगामी जलयान (मछली पकड़ने की नौकाओं के सिवाय)	प्रति टन 1.50 रु० से अनधिक	30 दिन में एक बार
	10 टन और उससे अधिक के तट जलयान (मछली पकड़ने की नौकाओं के सिवाय)	प्रति टन 1.50 रु० से अनधिक	30 दिन में एक बार
	10 टन और उससे अधिक के देशी नाव (मछली पकड़ने की नौकाओं के सिवाय)	प्रति टन 1.50 रु० से अनधिक	30 दिन में एक बार
	कर्षनौका, पारघाट स्टीमर और नदी स्टीमर	प्रति टन 1.50 रु० से अनधिक	प्रत्येक वर्ष में 1 जनवरी और 30 जून के बीच एक बार, और 1 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच एक बार ।

[फा० सं० पी० जी० आर०-41/74-3]
वी० द्वाराकावास, अवर सचिव

G.S.R. 469.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this Notification in the official Gazette the following alterations and additions in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the First Schedule to the said Act, for "Part VI-Kutch," the following shall be substituted, namely :—

"Part VI—Kutch

Name of Port	Vessels chargeable	Rate of Port Dues	Due how often chargeable in respect of same vessel
Kandla	Sea-going vessels of ten tons and upwards (except fishing boats).	Not exceeding Rs. 1.50 per ton.	Once in thirty days
	Coasting vessels of ten tons and upwards (except fishing boats).	Not exceeding Rs. 1.50 per ton.	Once in thirty days
	Country crafts of ten tons and upwards (except fishing boats).	Not exceeding Rs. 1.50 per ton.	Once in thirty days
	Tugs, Ferry Steamers and river steamers.	Not exceeding Rs. 1.50 per ton.	Once between the 1st January and the 30th June and once between the 1st July and the 31st December in each year."

[F. No. PGR-41/74-III]
V. DWARAKAVAS, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1975

सा० का० नि० 470.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग में वर्ग 1 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन विभाग (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि रक्षा करना आवश्यक या समीचीन है वहां यह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्गों के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगा ।

7. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

प्रकाशन निदेशालय में वर्ग I पद पर भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रकाशन नियंत्रक	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित अननुसचिवीय	1500-2000 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, चयन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जायेगा ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से जो सवृण पद धारण करते हैं या जिनकी 700-1250 रु० (1100रु-1600 पुनरीक्षित) के वेतनमान के पदों पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा/केन्द्रीय सेवा वर्ग I केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों में से जो भारत सरकार के उपसचिव के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं । और जिनका प्रकाशन संबंधी बातों में पर्याप्त अनुभव हो । विभागीय प्रकाशन उप-नियंत्रक को भी जिसकी उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा है, । विचारित किया जाएगा तथा यदि उसका नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है तो पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	संघ लोक आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

[सं०ए-12018/2/73-भाग-2 पी०एस०पी० (खण्ड 2)]

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 3rd April, 1975

G.S.R. 470.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Controller of Publications in the Department of Publications (Ministry of Works and Housing), namely —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Publication (Class I Post) Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications —The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recroded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Controller of Publications.	1	General Central Service Class I Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1500-60-1800-100-2000.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation or transfer, grades from which promotion/deputation or transfer to be made.	If a departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion/transfer on deputation, selection being made in consultation with the Union Public Service Commission.	Promotion/transfer on deputation : Officers under the Central/State Governments holding analogous posts or with at least 5 years service in posts in the scale of Rs. 700-1250 (Rs. 1100-1600 revised) or Officers of the Indian Administrative Service/Central Services Class I/Central Secretariat Service ellgible for appointment as DeputySerectary to the Government of India and having adequate experience in publication matters. The departmental Deputy Controller of Publications with 5 years service in the grade shall also be considered and in case he is selected for appointment, the post shall be treated to have been filled by promotion. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years)	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption) from consultation Regulations, 1958

[No A-12018/2/73-P II/PSP (Vol.II)]

सा०का०नि० 471--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुद्रण निदेशालय (निर्माण और आवास मंत्रालय) में मुद्रण निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुद्रण निदेशालय (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध समय--समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

मुद्रण निदेशालय में विभिन्न वर्ग 1 पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अधयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. मुद्रण निदेशक	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1।	1800-2000 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, चयन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जायेगा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से जो सदृश पद धारण करते हैं या जिनकी 1300-1600 रु० (1800—2000 रु० पुनरीक्षित) के वेतनमान के पदों या समतुल्य पदों पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा हो अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा/केन्द्रीय सेवा वर्ग I केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सचिवालय में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हों तथा जिनका मुद्रण संबंधी बातों में पर्याप्त अनुभव हो। विभागीय संयुक्त निदेशकों (तकनीकी) को भी जिनकी उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा हो, विचारित किया जाएगा तथा यदि संयुक्त निदेशक (तकनीकी) का नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है तो उस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।

[सं० ए-12018/2/73-भाग2/पी०एस०पी०(खण्ड 2)]

बी०एन० मुखर्जी, अवर सचिव

G.S.R. 471.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Director of Printing in the Directorate of Printing (Ministry of Work & Housing), namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Printing (Class I Post) Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment age limit and other qualifications :—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Director of Printing	1	General Central Service Class I	Rs. 1800–2000 (Pre-revised)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion/transfer on deputation, the selection being made in consultation with the Union Public Service Commission.	Promotion/transfer on deputation : Officers under the Central Government holding analogous posts or with at least 5 years service in posts in the scale of Rs. 1300-1600 (Rs. 1800-2000 Revised) or equivalent or officers of the Indian Administrative Service/Central Services Class I/Central Secretariat Service eligible for appointment to the post of Director in the Central Secretariat and having adequate experience in printing matters. The departmental Joint Directors (Technical) with 5 years service in the grade shall also be considered and in case Joint Director (Technical) is selected for appointment the post shall be treated to have been filled by promotion. (Period of deputation ordinarily not exceeding 4 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations 1958.

[No. A-12018/2/73-PII/PSP (Vol. II]

B. N. MUKHERJEE, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

आदेश

धनबाद, 6 नवम्बर, 1974

सा०का०नि० 472.—खानों के मुख्य निरीक्षक, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 123 ग के उपविनियम (2) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि द्वितीय या तृतीय धनत्व की प्रत्येक गैसीय पर्त में व्यवस्थित किए गए पत्थर के चूरे रोधों की किस्म और वह रीति जिसमें उनको अनुरक्षित किया जाएगा, ऐसी होंगी जैसी इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए ।

अनुसूची

1. साधारण

1.1 विस्फोट के पूरे मार्ग में पत्थर चूरा रोध स्थित किए जाएंगे और उनमें शेल्फ ऐसी रीति में रखे जाएंगे कि कोई विस्फोट होने की दशा में उनके ढह जाने में बाधा न पहुंचे ।

1.2 रोध, सड़क मार्ग के ऊपरी तिहाई के भीतर इतने नीचे स्थापित किए जाएंगे जो सुविधा जनक हो और किसी शेल्फ का कोई भाग और उस पर कोई पत्थर का चूरा छत से या सड़क मार्ग के बगल से या किसी सड़क मार्ग रेल से 10 से० मी० से कम न होगा । उसके अतिरिक्त, शेल्फ ऐसी रीति में संनिर्मित किए जाएंगे और ऐसे स्थापित किए जाएंगे कि किसी विस्फोट की दशा में वे बिना किसी अवरोध के सड़क मार्ग के साथ-साथ उड़कर बिखर जाएं ।

2. रोधों की डिजाइन:

2.1 पत्थर चूरा तख्तों पर आधारित होगा (जो सड़क मार्ग में लम्बाई में फैले होगा और जिसकी लम्बाई शेल्फों की चौड़ाई के बराबर होगी) ये तख्ते एक दृढ़ चौखटे पर टिके होंगे, जिनमें से दो तख्ते मोटाई में कम से कम 15 से० मी० होंगे और उनके किनारे दो दृढ़ टेकों पर टिके होंगे ।

2.2 तख्ते और चौखट न तो एक दूसरे से बांधे जाएंगे और न वे दृढ़ टेकों से बांधे जाएंगे ।

2.3 प्रारम्भिक या प्रथम या हलके रोध जिनका संभावित स्खलन स्थल के निकटतम स्थापित किया जाना आशयित है, जब स्थापित किए जाएं ऐसे हलके भरे हुए शेल्फों से (नीचे देखिये) मिलकर बनेंगे, जिनकी चौड़ाई 35 से० मी० से अधिक नहीं होगी ।

2.4 हलके रोध के दोनों शेल्फों के बीच की दूरी 0.9 मीटर से कम और 2.0 मीटर से अधिक नहीं होगी ।

2.5 हलके रोध के शेल्फों पर, उसकी लम्बाई में प्रति मीटर पर 30 किलो ग्राम से अधिक भार नहीं होगा और रोद में पत्थर चूरे की कुल मात्रा प्रति वर्ग मीटर अनुप्रस्वकाट में 110 किलो ग्राम से कम न होगी ।

2.6 दूसरी श्रेणी के या भारी किस्म के रोधों (नीचे देखिए), जो बाह्यतर उपयोग के लिए आशयित हैं में उनके शेल्फों के एक तिहाई हलके भरे हुए होंगे और उन्हें (नीचे देखिए) प्राथमिक रोधों के अनुसार रखा जाएगा ।

2.7 भारी रोध के लिए भराई अनुप्रस्थकाट के प्रतिवर्ग मीटर पर 390 किलो ग्राम होगी । शेल्फ चौड़ाई में 50 से० मी० से अधिक नहीं होंगे और उनकी भराई शेल्फ की लम्बाई में प्रति मीटर पर 50 किलो ग्राम से अधिक न होगी ।

2.8 अधिक भरे गए शेल्फों के बीच या एक अधिक भरे गए शेल्फ और एक हलके भरे गए शेल्फ के बीच की दूरी 125 से० मी० से कम और 270 से० मी० से अधिक न होगी ।

2.9 हलके भरे गए शेल्फ एक दूसरे के निकटस्थ होंगे और रोध के भीतर किनारे पर रखे जाएंगे ।

2.10 जहां परिस्थितियां मध्यवर्ती रोधों की अपेक्षा करें । वहां ऐसे रोध सड़क मार्ग के प्रति वर्ग मीटर पर 195 कि० ग्रा० चूरे से भरे जाएंगे जिसमें से आधा चूरा हलके भरे गए शेल्फों पर और आधा अधिक भरे गए शेल्फों पर रखा जाएगा । हलके भरे गए शेल्फ भारी रोधों की भीतरी किनारे पर कम में रखे जाएंगे ।

2.11 किसी रोद में पत्थर के चूरे की मात्रा का परिकलन करते समय अनुप्रस्टकाट क्षेत्र से ऐसे सड़क मार्ग के जहां रोद स्थापित किया गया है, अनुलम्ब सर्वेक्षण द्वारा अवधारित औसत अनुप्रस्थ-काट क्षेत्र, अभिप्रेत होगा । किसी भारी रोध में हलके भरे गए शेल्फों में पत्थर चूरे की मात्रा अनुलम्ब सर्वेक्षण योजना द्वारा यथा अवधारित शेल्फ की औसत लम्बाई के आधार पर आनुपातिक रूप से परिकलित की जाएगी ।

2.12 अधिकतम परिक्षेपमता हेतु चूरा शेल्फों पर एकत्रित कर दिया जाएगा । चूरा ऐसी किस्म का होगा कि उपयोग करने पर जिसका केक न बने ; सीलन या नमी की दशाओं में जल-साह्य पत्थर चूरा उपयोग में लाया जाएगा ।

2.13 जहां किसी सड़क मार्ग को इसलिए बढ़ाया जाना है कि रोध को जगह देने के लिए उसे पर्याप्त ऊंचाई दी जा सके, वहां कटाव का विस्तार कम से कम रोद के दोनों ओर रोद पत्थर चूरे के शीर्ष और बिना मार्ग की ऊंचाई के बराबर दूरी तक होगा अन्तर के बीस गुने के बराबर दूरी तक होगा ।

2.14 रोद स्थिति करते समय यथा विनिर्दिष्ट दूरी अग्र भाग निकटतम शेल्फ से मापी जाएगी ।

3. तख्ते और स्तम्भ का कार्यकरण

3.1 खानों में कार्यकरण को खंडों में बांट दिया जाएगा जिससे कि एक खण्ड में होने वाला विस्फोट दूसरे में न फैल सके । रोध निकटस्थ शर्धो के समूह के संबन्ध में स्थित किए जाएंगे ।

3.2 तख्ते और स्तम्भ के कार्यकरण में, रोद द्वारा सेवित किए जाने के लिए आशयित किसी क्षेत्र में शर्धों के समूह के संबन्ध में किसी उपयुक्त स्थल पर केवल एक भारी किस्म के रोध की व्यवस्था की जाएगी । ऐसे रोद की निकटतम चालू अग्र भाग से 135 मीटर से अन्यून और दूरतम अग्रभाग से 365 मीटर से अनधिक दूरी पर, व्यवस्था की जाएगी ।

3.3 क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वारों में भारी रोधों की व्यवस्था की जाएगी जब किसी प्रवेश द्वार में पत्थर के चूरे रोद के स्थान पर रोक की व्यवस्था की जानी है तो ऐसा रोक विस्फोट सह्य होगा । यदि रोक के विस्फोट सह्य होने के संबन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता

है, तो इसे विनिश्चय के लिए मुख्य निरीक्षक को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा, तथापि वह रोक सीमेंट और ईंटों से मजबूती से बना होगा और उसकी मोटाई 1.8 मीटर से कम न होगी और ऐसी जगह स्थित होगी जो रोद के भीतरी किनारे के समरूप हो। ऐसे रोकों के बाहरी गलियारे कोयले के चूरे से रोहत रखे जाएंगे। उनमें पत्थर कम चूरा अधिक होगा और वे पर्याप्त रूप से संबन्धित रखे जाएंगे।

3.4 रोध की, जिनके अन्तर्गत विस्फोट सहाय रोक यदि कोई हो, भी हैं जैसे जैसे अग्र भाग आगे बढ़ते जाएं, ऊपर पैरा 3.2 के अधीन उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के लिए नए स्थलों पर भी व्यवस्था की जाएगी।

3.5 पत्थर चूरा रोदों के स्थलों को खान की योजना बनाते समय पूर्वविस्तारित किया जाएगा और ऐसे स्थलों पर स्तम्भ आकार में इतने पर्याप्त होंगे जिसमें कि रोदों के शेल्फ लगभग एक स्तम्भ की लम्बाई तक में आ सकें। जहां पत्थर चूरा रोध के शेल्फ गैरलरियों के जोड़ों से होकर फैले हैं, वहां या तो अनुप्रस्थ गैलरियों रोक द्वारा बन्द कर दी जाएंगी और ऐसी गैलरियों में पत्थर चूरे की पर्याप्त रूप से व्यवस्था होगी और वे संचालित होंगी या शेल्फ का विस्तार अनुप्रस्थ गैलरियों तक दोनों और ऐसी दूरी तक होगा को जोड़ पर और उसके बाह्य भाग तक विस्तारित रोद की दूरी से कम नहीं होगा।

3.6 जहां 365 मीटर की ऊपरी सीमा तक कोई रोद स्थित करना असाध्य हो, वहां मामला मुख्य निरीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.7 जब कोई नया क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, तब नए आरम्भ किए गए शीर्षों के समूह को सुरक्षा देने के संबन्ध में पैरा 3.2 में उल्लिखित दूरी के भीतर पार्श्वस्थ परिवहन सड़क में एक या कई रोद स्थित किए जाएंगे।

4. कोयले में एकल शीर्ष

4.0 जब किसी विद्यमान मुख्य सड़क मार्ग से कोई एकल शीर्ष चालित किया जाता है, तो वहां मुख्य सड़क पर पैरा 3.2 के अधीन शीर्ष के अग्र भाग से मापी गई विनिर्दिष्ट दूरी पर भारी किस्म का एक रोध स्थित किया जाएगा।

5. दीर्घ मिस्ति कार्यकरण

5.1 दीर्घ मिस्ति द्वार तक जाने वाली सभी सड़कों में अग्रभाग के निकटतम बिन्दु से 45-110 मीटर की दूरी के भीतर हलके किस्म का एक रोद स्थापित किया जाएगा।

5.2 दीर्घ मिस्ति द्वार तक जाने वाली सड़कों में अग्रभाग से 180 320 मीटर की दूरी पर एक द्वितीय भारी किस्म का रोध स्थापित किया जाएगा।

5.3 जब कोई वाहक द्वार को विकसित किया जा रहा है और सड़क इतनी छोटी है कि रोध को स्थान नहीं दिया जा सकता, तो पैरा 5.1 और 5.2 में उल्लिखित क्रमिक द्वारियों पर अन्तरण स्थल के बाहर मुख्य वाहक सड़क पर एक हलका और एक भारी रोध स्थित किया जाएगा।

5.4 यहां मुख्य वाहक सड़क अन्य प्रभागों के अन्तरण स्थलों भीतरी छोर से होकर गुजरती है, वहां अन्तरण स्थलों के भीतरी छोर पर समरूप स्थानों में दो और ऐसे रोधों की व्यवस्था की जाएगी।

5.5 किसी नए विकसित किए गए अग्रभाग के लिए जिसमें कोई पृथक संवातक छिद्र नहीं है, मुख्य सड़क पर ऊपर विनिर्दिष्ट दूरी पर दो रोध स्थित कम जाएंगे।

5.6 जहां मुख्य सड़क के अपेक्षाकृत कम दूरी पर बहुत से दीर्घ मिस्ति अग्रभाग विकसित किए जा रहे हों, वहां किसी अग्रभाग पर होने वाले विस्फोट को खान के अन्य भागों में फैलने से रोकने के लिए और निकटस्थ अग्रभाग में विस्फोट को फैलने से रोकने के लिये यथासाध्य संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जहां साहय हो इस संरक्षण की व्यवस्था हलके तथा भारी रोधों द्वारा की जाएगी।

6. कूपक इन सेट

6.0 जहां एक ही कार के कूपकों से एक से अधिक तहों में कार्य किया जाता है, वहां प्रत्येक तह में पायदान से 90 मीटर 150 मीटर की दूरी पर कूपक के पौड़ी के पार्श्वस्थ सड़क पर भारी किस्म के रोध स्थित किए जाएंगे। इन रोधों को यथा संभव व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वे किसी समतल भूखंड के जो कम से कम 180 मीटर लम्बी होगी, मध्य में हों।

7. संकरी पर्तों में रोद

7.0 संकरी पर्तों में जहां छत की ऐसी दशा है कि पैरा 1.1 और 1.2 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में रोध शेल्फ लगाने के लिए सड़क मार्ग की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती, वहां पत्थर चूरा रोधों की निम्नलिखित रीति में व्यवस्था की जाएगी।

(क) बुलाई सड़कों से भिन्न यात्रा सड़कों और वायुमार्गों में कम लम्बाई के पत्थर चूरा रोद शेल्फों की व्यवस्था की जा सकेगी और लोगों के आने जाने के लिए कम से कम एक और 10 से०मी० और दूसरी ओर 90 से०मी० का खुला स्थान छोड़ा जाएगा, परन्तु शेल्फों की लम्बाई 180 से० मी० से कम न होगी। यात्रा मार्ग और रोद शेल्फों से युक्त सड़क मार्ग के भाग के बीच उपयुक्त किस्म की बाड़ की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) बुलाई और ट्राम सड़कों में मार्ग के दोनों ओर एक टब की ओर से और एक फ्लक शेल्फ की ओर से कम से कम 10 से० मी० का खुला स्थान छोड़ते हुए, पत्थर चूरा रोद शेल्फों की लम्बाई 90 से०मी० से कम न होगी और जहां ऐसे शेल्फ लगाने के लिए सड़क मार्ग को सुरक्षित रूप में चौड़ा नहीं किया जा सकता वहां शेल्फ मार्ग के एक ही ओर अवस्थित किए जाएंगे।

(ग) पत्थर चूरा रोद में पत्थर चूरे की कुल मात्रा सामान्य दशा में अपेक्षित मात्रा का कम से कम डेढ़ गुना होगी शेल्फों के लदान की दर वही रहेगी।

(घ) सड़क के उस भाग को जिसमें पत्थर चूरा रोद है, कोयला चूरा से मुक्त रखा जाएगा और छत, फर्श और पार्श्व में जिसमें काग तथा अन्य टेक भी हैं, पर्याप्त रूप से पत्थर चूरे का प्रयोग किया जाएगा।

8. अनुरक्षक

8.1 अपने कानूनी कर्तव्यों के समुचित निवर्हन के लिए संवातक अधिकारी निम्नलिखित रीति से रोधों का सन्निर्माण किया जाना और अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा :—

(क) वह प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार पत्थर चूरा रोधों की परीक्षा करेगा। इस परीक्षा के एक भाग स्वरूप चूरे की परिक्षेपणता का परीक्षण हाथ में थोड़ा सा चूरा लेकर और उस पर फूंक मार कर की जाएगी यदि इससे यह दर्शित होता है कि चूरा केक बन गया है या जम गया है तो रोध

में का चूरा हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर नया चूरा रखा जाएगा ।

(ख) वह शेल्फों या रोध के अन्य भागों की किसी क्षति की मरम्मत के लिये प्रबन्ध करेगा ।

(ग) वह यथा अपेक्षित नए रोधों के परिनिर्माण का पर्यवेक्षण करेगा ।

(घ) वह ऐसे निरीक्षणों पर तथा की गई या अपेक्षित किसी कार्रवाई के बारे में एक रिपोर्ट लिखेगा 2 रिपोर्ट प्रबन्धक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जाएगी । ऐसी रिपोर्ट के लिए रखी गई पुस्तक में स्थिति, पत्थर चूरे की मात्रा, उस सड़क का अनुप्रस्थकाट जिसमें चूरा रोध स्थित है, निरीक्षण की और पत्थर चूरा रखने की तारीख से संबन्धित सभी आंकड़े तथा अन्य सुसंगत विशिष्टियां भी अभिलिखित की जाएगी ।

(ङ) यदि किसी समय संवातन अधिकारी रोध की किसी त्रुटि या क्षति को दूर नहीं कर सकता है, तो वह मामले की रिपोर्ट प्रबन्धक को करेगा, जो रोध को उचित स्थिति में करने के लिए तुरन्त कार्यवाई करेगा ।

3.2 यदि पत्थर चूरा रोध में किसी त्रुटि को तुरन्त ठीक करना संभव नहीं है तो सम्बन्ध क्षेत्र या क्षेत्रों में त्रुटि का उपचार होने तक यथा संभव शीघ्र उत्सफोटन बन्द कर दिया जाएगा ।

3.3 रोधों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अग्रभाग से अनुमोदित दूरी के भीतर निरन्तर अनुरक्षित किए जा रहे हैं आवश्यक अंतरालों पर जैसी अपेक्षा हो, हटाया जाएगा ।

9. चेक बोर्ड

9.1 प्रत्येक रोध के निकट एक बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी जिस पर निम्नलिखित जानकारी अभिलिखित की जाएगी:—

(क) सड़क मार्ग का अनुप्रस्थकाट ।

(ख) रोध का कुल चूरा भार ।

(ग) शेल्फों की संख्या और लक्षण ।

(घ) पत्थर चूरा हटाने की पिछली तारीख ।

(ङ) संवातन अधिकारी द्वारा पिछले निरीक्षण की तारीख ।

(च) रोध की निर्देश संख्या ।

(छ) संवातन अधिकारी के हस्ताक्षर ।

9.2 पत्थर चूरा रोधों की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां परित्राण और पत्थर चूरा योजना चित्रों में वर्णित किए जाएंगे :—

(क) स्थिति, रोधों के प्रकार, और उनके सन्निमार्ग की तारीख ।

(ख) रोधों के दूसरी स्थिति के लिए प्रायोजना और उनके स्थापित किए जाने की संबंधित तारीख ।

ये योजना चित्र तीन मास में कम से कम एक बार अद्यतन किए जाएंगे और रोधों के परीक्षण और अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी पदधारियों और सक्षम व्यक्तियों को पत्थर चूरा योजनाचित्र की प्रतियां दी जाएगी ।

[सं० विधि/2164/749]

एस० एम० प्रसाद, मुख्य खान निरीक्षक

MINISTRY OF LABOUR

(Directorate-General of Mines Safety)

ORDER

Dhanbad, the 6th November, 1974

G.S.R. 472.—In pursuance of sub-regulation (2) of regulation 123C of the Coal Mines Regulations, 1957, the Chief Inspector of Mines hereby specifies that the type of the stone-dust barriers to be provided and the manner in which such barriers shall be maintained in every gassy seam of the second or third degree shall be as specified in the Schedule annexed to this Order.

SCHEDULE

1. GENERAL:

1.1 Stone dust barriers shall be placed in the full path of the explosion and the shelves shall be so arranged that their collapse in the event of an explosion is not impeded.

1.2 Barriers shall be sited as low as convenient within the upper third of the roadway; and no part of any shelf and no stonedust on it shall be less than 10 cms. from the roof or sides of the roadway or any roadway support. In addition, the shelves shall be constructed and installed that, in the event of an explosion, they fly without obstruction along the roadway.

2. DESIGN OF BARRIERS:

2.1 The stone dust shall rest on boards (which run longitudinally in the roadway and whose length equals the width of the shelves. These boards shall rest on a rigid frame, the two members of which shall be atleast 15 cms. in depth and rest on their edges on two fixed rigid brackets.

2.2 Neither the boards nor the frame shall be fastened either to each other or to the fixed brackets.

2.3 Primary or first or light barriers which are intended to be installed nearest to be a possible point of ignition, when installed, shall consist of lightly loaded shelves (see below) not more than 35 cms. in width.

2.3 The distance between two shelves of a light barrier shall be not less than 0.9 m. and not more than 2.0 m.

2.5 The shelves of a light barrier shall be loaded with not more than 30 Kg. of dust per metre of shelf length and the total quantity of stone dust in the barrier shall be less than 110 kg. of stone dust per sq. metre cross-section.

2.6 Secondary of heavy type of barriers (see below) intended for use further outbye shall consist of one third of its shelves lightly loaded and spaced (see below) as in case of primary barriers.

2.7 The loading for a heavy barrier shall be 390 kg. per sq. metre of the cross-section. The shelves shall not exceed 50 cms. in width and their loading shall not exceed 60 kg. per metre of shelf length.

2.8 The distance between heavily loaded shelves or between a heavily loaded shelf and a lightly loaded shelf shall not less than 125 cms. (125 cms.) and not more than 2.70 cms.

2.9 The lightly loaded shelves shall be adjacent to each other and placed at the in bye end of the barrier.

2.10 Where circumstances require intermediate barriers, such barriers shall be loaded with 195 kg. of dust per square metre of roadway, half the dust being placed on lightly loaded shelves and half on heavily loaded shelves. The lightly loaded shelves being arranged at the in bye end, as in the case of heavy barriers.

2.11 When calculating the quantity of stone dust in a barrier, cross sectional area shall mean the average cross sectional area determined by an off set survey of the roadway where the barrier is installed. The amount of stone dust in the lightly loaded shelves in a heavy barrier shall be calculated proportionately on the basis of average length of the shelf as determined from the offset survey plan.

2.12 For maximum dispresability the dust shall be piled loose on the shelves. The dust shall also be of a type that will not cake in use; in damp or wet condition water-proofed stone dust shall be used.

2.13 Where a roadway has to be enlarged to provide sufficient height to accommodate a barrier, the ripping shall extend over a distance on each side of the barrier equal to at least 20 times the difference between the height of the top of the stone dust on the barrier and the hieght of the unripped roadway.

2.14 When sitting a barrier, the distance as specified shall be measured from the shelf nearest to the face.

3. BOARD AND PILLAR WORKINGS:

3.1 The workings in the mine shall be divided into sections so that an explosion occuring in one section may not spread to another. The barriers may be sited in relation to group of adjacent headings.

3.2 In board and pillar workings, only a heavy type barrier may be provided at a suitable site in relation to the groups of headings in a district intended to be served by the barrier. Such a barrier shall be provided at a distance of not less than 135 meters form the nearest working face and not more than 365 metres from the farthest face.

3.3 Heavy barriers shall be provided in all the entires to the district. When in any entry a stopping is to be provided instead of a dust barrier, such stopping shall be explosion proof. If any dispute arises whether a stopping is explosion proof, it shall be referred to the Chief Inspector for decision so, however, that such stopping shall be of strong construction with brick in cement and not less than 1.8 metres in thickness and located at a position corresponding the inbye end of the barriers. The gallery outbye of such stoppings shall be kept cleared of coal dust heavily stone-dusted and adequately ventilated.

3.4 The barrier including the explosion proof stoppings, if any, shall be provided at fresh sites as the faces advance, in order to comply with the conditions mentioned under para 3.2 above.

3.5 The sites of stone dust barriers shall be predetermined at the time of planning the mine and the pillars at such sites shall be of adequate size so ...t the shelves of the barriers are included in ... one pillar length. Where the shelves of a ... barrier extend through a junction of ... the cross galleries shall be blocked ... and such galleries kept adequately ... dust and ventilated, or the ... to the cross galleries for a ... which is not less than the ... nding over the junction and

... icticable to site a barrier withir ... of 365 metres. the matter may be ... Chief Inspector.

... district is being developed, a barrier ... all be sited in the adjacent transport ... he distance mentioned under para 3.2 ... ction in relation to the group of newly ...

4. SINGLE HEADINGS IN COAL:

4.0 When a single heading is driven from an existing main roadway, a barrier of heavy type shall be sited in the main road at a distance specified under para 3.2 measured from the face of the heading.

5. LONGWALL WORKINGS:

5.1 A barrier of light type shall be installed in all longwall gate conveyor roads within the range of 45—110 metres from the nearest point of the face.

5.2 A second barrier of heavy type shall be installed in longwall gate conveyor roads at a distance of 180—320 metres from the face.

5.3 When a conveyor gate is being developed and the road is too short to accommodate barriers, a light and a heavy barrier shall be sited on the trunk conveyor road outbye of the transfer point at the respective distances mentioned under para 5.1 and 5.2.

5.4 Where the trunk conveyor road passes inbye of the transfer point to other districts, two more such barriers shall be provided in the corresponding positions, inbye of the transfer point.

5.5 For a newly developed face which does not have a separate ventilating split, a pair of barriers shall be sited on the trunk road at the distances specified above.

5.6 Where a number of longwall faces are being developed from a relatively short length of trunk road, protection shall be provided to prevent an explosion occurring at any face from spreading to other parts of the mine and also as far as practicable, so as to prevent an explosion from spreading to an adjacent face. Where practicable, this protection shall be provided by a system of light and heavy barriers.

6. SHAFT INSETS :

6.0 Where more than one seams are worked from the same shafts, heavy type of barriers shall be sited in the roads adjacent to the shaft landings in each seam at a distance of 90 m.—150 m. from the landing. These barriers shall, as far as possible, be so arranged that they are in the middle of a straight stretch. at least 180 m. in length.

7. BARRIERS IN THIN SEAM :

7.0 In thin seam where the roof condition does not allow heightening of roadways to accommodate barrier shelves in the manner specified under paragraph 1.1 and 1.2, stone dust barriers may be provided in the following manner :—

(a) In the travelling roads and airways other than haulage roads, the stone dust barrier shelves may be provide of shorter length, leaving a clear space of at least 10 cms. on one side, and up to 90 cms. on the other side for passage of men, provided that the length of the shelves shall not be less than 180 cms. suitable type of fencing shall be provided between the travelling passage and the part of the roadway containing barrier shelves.

(b) In the haulage and tramming roads, the stone dust barrier shelves may be provided on either side of the track leaving a clear space of at least 10 cms. from the side of tub and a shelf. Provided that the length of the shelf shall not be less than 90 cms. and where the roadway cannot be safely widened to accommodate such shelves, the shelves may be located on the side of the track.

(c) The total quantity of stone dust in the stone dust barrier shall be at least 1-1/2 times of that required in normal cases, the rate of loading of shelves remaining the same.

(d) The part of the roadway containing the stone dust barrier shall be kept clean of coal dust and adequately treated with stone dust on roof, floor, and sides including cogs and other supports.

8. MAINTENANCE :

8.1 For proper discharge of his statutory duties, the ventilation Officer shall ensure proper construction and maintenance of the barriers in the following manner :—

(a) He shall examine the stone dust barriers once at least in every week. As a part of this examination, dispersability of the dust shall be tested by taking some dust in hand and blowing on it. If this shows that the dust has tended to cake or consolidate, the dust in the barrier shall be removed and replaced by fresh dust.

(b) He shall arrange for repair of any damage to the shelves or other parts of the barrier.

(c) He shall supervise the erection of new barriers as required.

(d) He shall write a report on such inspections and on any action taken or required. The report shall be countersigned by the manager. In the book maintained for such reports, there shall also be recorded all data concerning position, quantity of stone dust, cross section of the road in which the dust barrier is situated, date of inspection and renewal of stone dust and any other relevant particulars.

(e) If at any time, the Ventilation Officer is not in a position to rectify any defect, or damage to a barrier, he shall report the matter to the manager who shall take immediate action to put the barrier in proper order.

8.2 If any defect in the stone dust barrier is not possible to be removed forthwith, shotfiring shall be stopped in the district or districts concerned, pending remedy of the defect as early as possible.

8.3 The barriers, as required, shall be moved at necessary intervals to ensure that they are maintained constantly within the recommended range of distance from the face.

9. CHECK BOARDS :

9.1 A board shall be provided near each barrier on which the following information shall be recorded.

(a) Cross-section of the roadway.

(b) Total dust loading of the barrier.

(c) Number and loading of shelves.

(d) Date of last removal of stone dust.

(e) Reference number of the barrier.

(f) Date of last inspection by the Ventilation Officer.

(g) Signature of the Ventilation Officer.

9.2 The following particulars in respect of stone dust barrier shall be shown on the rescue and stone dusting plans :—

(a) Position, type of barriers, and date of their construction.

(b) Projection for next position of the barriers, and the likely date of their installation.

These plans shall be brought up-to-date not less than once in three months and copies of the stone dusting plan shall be provided to the officials and competent persons responsible for examining and maintaining the barriers.

[No. Law/21640/74]

S. S. PRASAD, Ch. Insp. of Mines.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1975

सा०का०नि० 473.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय (अन्वेषक श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय (अन्वेषक श्रेणी 2) भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. श्रम और रोजगार (अन्वेषक श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1963 में,

(i) "श्रम और रोजगार मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आए हैं, "श्रम मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) अनुसूची में, स्तम्भ 8 में, "शिक्षा : हां" शब्दों के स्थान पर "शिक्षा : नहीं" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा० सं० ए-12018/13/1/74-एल० बी०]

New Delhi, the 17th March, 1975

G.S.R. 473.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Labour and Employment (Investigator Grade-II) Recruitment Rules 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment (Investigator Grade-II) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Labour and Employment (Investigator Grade-II) Recruitment Rules, 1963 :—

(i) for the words "Ministry of Labour and Employment" wherever they occur, the words "Ministry of Labour" shall be substituted ;

(ii) in the Schedule, in column 8, for the words "Education : Yes", the words "Education : No" shall be substituted.

[File No. A-12018/13/1/74-LB]

सा०का०नि० 474.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु— द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम ब्यूरो, शिमला श्रेणी-2) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लि नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम श्रम भर्ती (संशोधन) नियम

(2) ये राजपत्र में प्रका

2. श्रम ब्यूरो, शिमला (- अनुसूची में, स्तम्भ 8 में, "शिक्षा: हां" श शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० ए-12

जे०

G.S.R. 474.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules further to amend the Labour Bureau, Simla (Investigator Grade-II) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Labour Bureau Simla (Investigator Grade-II) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Labour Bureau, Simla (Investigator Grade-II) Recruitment Rules, 1963, in the Schedule, in column 8, for the words "Education : Yes" the words "Education : No" shall be substituted.

[File No. A-12018/13/II/74-LB]
J. C. SAXENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1975

सा०का०नि० 475—यतः कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1949 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1398; तारीख 19 दिसम्बर, 1974 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1), तारीख 28 दिसंबर, 1974 के पृष्ठ 3253-3254 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उसके द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य था, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 28 दिसम्बर, 1974 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1949 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम कोयला खान श्रम कल्याण निधि (प्रथम संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1949 में, नियम 24 के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(5) आवास बोर्ड द्वारा किए गए सभी करारों और लिखितों पर आवास बोर्ड की ओर से अध्यक्ष द्वारा, या उसके अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे, हस्ताक्षर किया जाएगा ।"

[सं०एस-20012/7/72-एम 2]
बी० के० सक्सेना, अवर सचिव

New Delhi, the 29th March, 1975

G.S.R. 475.—Whereas certain draft rules furhter to amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949 were published as required by sub-section (1) of section 10 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), at pages 3253-3254 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 28th December, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, G.S.R. 1938, dated the 19th December, 1974, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of fortyfive days from the publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 28th December, 1974;

And whereas no objections and suggestions were received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, namely :—

1. (1) These rules may be called the Coal Mines Labour Welfare Fund (First Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949 for sub-rule (5) of rule 24, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) All agreements and instruments entered into by the Housing Board shall be signed on behalf of the Housing Board by the Chairman, or by such other officer, subordinate to him, as may be authorised by him in this behalf with the prior approval of the Central Government in writing."

[No. S-20012/7/72-MII]
B. K. SAKSENA, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1975

सा०का०नि० 476—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कलकत्ता में उप-निदेशक (भौतिकी) के पद पर भर्ती सम्बन्धी भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की दिनांक 17 नवम्बर, 1958 की अधिसूचना सं० ई०-111-10(15)/50-स्था०-1 का अधिक्रमण करते; ए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय परीक्षणशाला में उप-निदेशक (भौतिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—(1) ये नियम राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कलकत्ता उप-निदेशक (भौतिकी) के भर्ती नियम, 1975 कहे जा सकेंगे।

(2) ये भारतीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे।

2. प्रयोज्यता :—ये नियम संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे, जो कथित अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और कथित पदों से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कथित अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

5. निर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है। कथित पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति पर और जिस व्यक्ति से विवाह किया जाता है, उस पर लागू होने वाले निजी कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और यदि ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहां वह ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखन द्वारा अभिलिखित किया जायेगा, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकती है।

7. छूट :—इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार किये गये आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगे।

परिशिष्ट

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप-निदेशक (भौतिकी)	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1 राजपत्रित	1100-50-1600	प्रवरण	45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से भौतिकी (विशुद्ध या प्रयुक्त) में मास्टर डिग्री अथवा रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री अथवा वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिग्री अथवा रबड़ और प्लास्टिक प्रौद्यो-गिकी में डिग्री अथवा उसके समकक्ष डिग्री। (ii) इंजीनियरिंग सामग्रियों और उनके निम्नलिखित उत्पादों में से एक या अधिक के भौतिक परीक्षण में उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत से 5 वर्षों का अनुभव :— (क) सिविल इंजीनियरिंग/इंसुलेटिंग रिफेक्टरीज। (ख) वस्त्र/रबड़/प्लास्टिक/कागज/चमड़ा/(अन्यथा सुअर्हता युक्त अभ्य-र्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है)।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधी होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा होगी और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है	वे परिस्थितियां जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
			प्रोन्नति:		
आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जो न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	सहायक निदेशक (भौतिक) जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के बाद नियमित रूप से उसी ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो।	श्रेणी-1 विभागीय प्रोन्नति समिति।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित।

[सं० ए०-12018/2/74-स्था० 1]

शिव शंकर भली, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Supply)

New Delhi, the 2nd April, 1975

G.S.R. 476.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. E-III-10(15)/50 ESI dated 17th November, 1958 in so far as it relates to the recruitment to the post of Deputy Director (Physical) in the National Test House, Calcutta, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Physical) in the National Test House, Calcutta, namely:—

1. Short title—

1. These rules may be called the National Test House, Calcutta Deputy Director (Physical) Recruitment Rules, 1975.

2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application—

These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay—

The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters—

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications—

No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person:

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax—

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category af persan

7. Saving—

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (Physical)	One	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 1100-50-1600.	Selection	45 years (Relaxable for Government servants).	Essential— (i) Master's Degree in Physics (Pure or Applied) or Chemistry (Pure or Applied) or Degree in Chemical Technology or degree in Civil Engineering or Degree in Textile Technology or Degree in Rubber and Plastic Technology of a recognised University or equivalent. (ii) Five years' experience in a responsible capacity in physical testing of engineering materials and their products covering one or more of the following:— (1) Civil Engineering/Insulating/Refractories. (2) Textile/Rubber/Plastic/Paper/Leather. (Qualifications relaxable at Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). Desirable:— (i) Administrative experience. (ii) Research experience in the field of material science. (iii) Doctorate degree or training in any of the subjects mentioned above.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualifications : Yes.	2 years	By promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion: Assistant Director (Physical) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No.A. 12018/2/74-EST]

S. S. KSHETRY, Under Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1975

सा० का० नि० 477.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम, 1963 को अधिक्रान्त करते हुए, निम्ननिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नियम 1975 है।

(2) ये 7 अप्रैल, 1975 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) अभिप्रेत है।

(ख) 'बोर्ड' से अधिनियम की धारा 10 के अधीन गठित निगम का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "निगम" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अभिप्रेत है ;

(घ) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "साधारण परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन गठित निगम की साधारण परिषद् अभिप्रेत है ;

(च) "प्रबंध निदेशक" से निगम का प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;

(छ) "सदस्य" से साधारण परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ज) "प्रधान" से साधारण परिषद् का प्रधान अभिप्रेत है ;

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. प्रधान और उप प्रधान

(1) केन्द्रीय सरकार के सहकारिता से संबंधित मन्त्रालय के भार-साधक मंत्री प्रधान होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार के सहकारिता से संबंधित मन्त्रालय के राज्य मंत्री साधारण परिषद् के उप प्रधान होंगे जिन्हें उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा।

4. सदस्यों की पदावधि

धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (viii), (xiv), (xv), (xvi), और (xvii), के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा।

5. सदस्य की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति

सदस्य की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति करने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस समय तक पद धारण करेगा जिस समय तक वह सदस्य जिस के स्थान की वह पूर्ति करता है, उस दशा में पद धारण करने का हकदार होता : यदि वह रिक्ति न हुई होती।

6. सदस्यों का रजिस्टर

(1) निगम एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम और पता प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) यदि कोई सदस्य अपने पते में परिवर्तन करता है, तो वह प्रबंध निदेशक को अपना नया पता अधिसूचित करेगा और प्रबंध निदेशक तदनुसार रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टि में संशोधन करेगा।

7. भारत के बाहर जाने वाले सदस्य

(1) धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (vii), (xiv), (xv), (xvi) और (xvii), के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य भारत छोड़ने से पूर्व प्रधान को सूचित करेगा और उसे अपने प्रस्थान की तारीख तथा वापस भारत आने की प्रत्याशित तारीख प्रस्थापित करेगा।

(2) यदि उक्त सदस्य छह मास से अधिक अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित रहना चाहता है या वास्तव में अनुपस्थित रहता है तो वह, जब तक कि प्रधान अपने विवेकाधिकार से उसे सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनुज्ञात नहीं करता है, त्यागपत्र दे देगा।

(3) यदि उक्त सदस्य छह मास से अधिक अवधि के लिए लगातार भारत से निरन्तर अनुपस्थित रहता है और उसने उप नियम (2) के अधीन प्रधान की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, तो केन्द्रीय सरकार, धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसे साधारण परिषद् की सदस्यता से हटा सकेगी।

8. साधारण परिषद् के क्रमवर्ती तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने वाला सदस्य

धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (viii), (xiv), (xv), (xvi), और (xvii), के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य को, जो प्रधान की अनुज्ञा के बिना साधारण परिषद् के तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, धारा 6 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण परिषद् की सदस्यता से हटाया जा सकेगा।

9. प्रबंध निदेशक

(1) प्रबंध निदेशक ऐसा वेतन और भत्ते लेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मामले में नियत करना ठीक समझे।

(2) यदि प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सरकार की सेवा का अधिकारी नहीं है—(1) तो उस की छुट्टी और छुट्टी के भत्ते और यात्रा भत्ते वही होंगे, जो उस वर्ग के अधिकारियों को अनुज्ञेय हों, जिस के बराबर हैसियत में केन्द्रीय सरकार उसे घोषित करे, (2) सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करे।

(3) यदि प्रबंध निदेशक सरकार की सेवा का अधिकारी है तो निगम छुट्टी-भत्ते, पेंशन-उपबंध और भविष्य-निधि में ऐसा अभिदाय करेगा, जिसका सरकार के अधीन उस की सेवा की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा या उसकी ओर से किया जाना अपेक्षित हो।

(4) केन्द्रीय सरकार, तीन मास की सूचना देकर, कोई कारण बताए बिना, किसी भी समय प्रबंध निदेशक की सेवाएं समाप्त कर सकेगी और प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में तीन मास की सूचना देकर किसी भी समय पद त्याग कर सकेगा।

10. निगम का वित्तीय सलाहकार

निगम, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, आय और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर निगम को सलाह देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करेगा।

11. बोर्ड का उपाध्यक्ष

यथा-स्थिति, केन्द्रीय सरकार के सहकारिता से संबंधित विभाग का तत्समय भार-साधन करने वाला सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव बोर्ड का उपाध्यक्ष होगा।

12. बोर्ड के सदस्यों का त्याग पत्र

धारा 10 के खण्ड (iv), (v), (vi), और (vii), के अधीन नामनिर्दिष्ट बोर्ड का सदस्य लिखित रूप में, प्रबंध निदेशक को, अपने हस्ताक्षर करके ऐसे सदस्य के रूप में अपना त्याग-पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से, जिस को यह बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाता है या प्रबंध निदेशक द्वारा उस की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा।

13. लेखाओं का वार्षिक विवरण

निगम की बहियों में प्रत्येक वर्ष के मार्च के अन्तिम कार्य-दिवस को आय-व्यय की तुलना की जाएगी और लेखाओं का वार्षिक विवरण प्ररूप, "क", "ख" और "ग" में उपवर्णित किया जाएगा।

14. विवरणियां और रिपोर्ट

(क) अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा दी जाने वाली विवरणियां, विवरण और अन्य विशिष्टियां प्ररूप "घ" में होंगी और उन्हें प्रत्येक छमाही में केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

(ख) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन सरकार को भेजी जाने के लिए अपेक्षित रिपोर्ट उस अवधि की, जिस की बाबत रिपोर्ट है, समाप्ति से नौ मास के अन्दर प्ररूप "ङ" में की जाएगी।

[फा० संख्या एल० 12011/1/74-वि०क० वर्ग]

ए० दास, संयुक्त सचिव

फार्म 'क' (संशोधित)

(नियम 13 देखें)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष का लेखा-विवरण

आय	भुगतान
1. रोकड़ जमा	1. राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियों—प्रोसेसिंग/विपणन/अन्य सहकारी सोसायटियों—की अंशपूंजी में धन लगाया गया।
2. इन्हें दिए गए अनुदानों के प्रति धन की वापसी :	2. इन्हें ऋण दिये गए :
(क) राज्य सरकारें;	(क) राज्य सरकारें;
(ख) सहकारी बैंक;	(ख) सहकारी बैंक;
(ग) राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां	(ग) राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां;
(घ) अन्य सहकारी सोसायटियां;	(घ) अन्य सहकारी सोसायटियां ।
(ङ) अन्य ।	(कार्यभार ब्यौरा अनुबंध 2 में दिया गया है)
3. इनके द्वारा ऋण लौटाए गए :	3. ऋण पत्रों/बांड्स में धन लगाया गया।
(क) राज्य सरकारें;	
(ख) सहकारी बैंक;	
(ग) राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां;	
(घ) अन्य सहकारी सोसायटियां ।	
4. केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त हुआ :	4. इन्हें अनुदान दिए गए :
(क) अनुदान;	(क) राज्य सरकारें;
(ख) अतिरिक्त अनुदान;	(ख) सहकारी बैंक;
(ग) ऋण ।	(ग) राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां;
(कार्यभार ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है)	(घ) अन्य सहकारी सोसायटियां
	(कार्यभार ब्यौरा अनुबंध 2 में दिया गया है)
5. इनके द्वारा/इनसे दिए गए उधार :	5. केन्द्रीय सरकार को भुगतान किया गया :
(क) बांड्स बेचकर;	(क) ऋण लौटाए/वापस किए गए;
(ख) ऋण-पत्र जारी करके ;	(ख) अनुदान वापस किये गए;
(ग) बैंक/अन्य वित्तीय संस्थायें;	(ग) ब्याज।
(घ) अन्य संस्थायें ।	
6. अंशपूंजी का प्रतिदान किया गया।	6. इन्हें उधारों की वापसी-अदायगी की गई :
	(क) बैंक/वित्तीय संस्थायें; ,
	(ख) अन्य संस्थायें;
	(ग) ऋण-पत्रों का प्रतिदान;
	(घ) बांडों का प्रतिदान।
7. ऋण-पत्रों का प्रतिदान।	7. इन पर ब्याज :
	(क) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में लिये गये उधार;
	(ख) ऋण पत्र;
	(ग) बांड;
	(घ) अन्य संस्थाओं से लिये उधार।

आय	भुगतान
8. कर्मचारियों द्वारा वापस की गई अग्रिम धनराशियां।	8. प्रशासन पर व्यय :
	क. चालू व्यय
	(क) वेतन तथा भत्ते;
	(ख) कर्मचारियों का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता;
	(ग) सदस्यों तथा दूसरों का शुल्क, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता;
	(घ) किराया, रेट तथा कर;
	(ङ) लेखन-सामग्री;
	(च) कार्यालय व्यय;
	(छ) सम्मेलन।
	ख. परिसम्पत्तियों पर व्यय
	(क) कर्मचारियों को अग्रिम-धन दिया गया;
	(ख) संयंत्र तथा मशीनरी;
	(ग) फर्नीचर तथा फिक्चर्स;
	(घ) लाइब्रेरी पुस्तकें;
	(ङ) अन्य परिसम्पत्तियां।
9. लगाए गए धन पर लाभांश	9. भूमि तथा इमारतों में लगाया गया धन
10. ऋन पर ब्याज :	10. प्रचार तथा प्रकाशन
(क) राज्य सरकारों को दिए गए ऋण;	11. आय कर
(ख) सहकारी बैंकों को दिए गए ऋण;	12. लेखा-परीक्षा शुल्क
(ग) राष्ट्र स्तरीय तथा अन्तरराज्यीय सहकारी सोसायटियों को दिये गए ऋण;	13. अन्य फुटकर व्यय
(घ) अन्य सहकारी सोसायटियों को दिए गए ऋण;	14. रोकड़ बाकी
(ङ) बैंक;	
(च) कर्मचारियों को दिये गए अग्रिम-धन;	
(छ) अन्य विनियोग।	
11. फुटकर आय।	
योग	योग

फार्म 'क' का अनुबन्ध—लेखा विवरण

वर्ष में केन्द्रीय सरकार से कार्यवार प्राप्त हुए ऋणों तथा अनुदानों का वितरण

क्रम सं०	आय का प्रकार	धनराशि
1.	इनके लिए मिले ऋण :—	
	(1) प्रोसेसिंग	
	(2) विपणन	
	(3) भण्डारण	
	(4) सम्भरण तथा निवेश	
	(5) अप्रधान वन उपज का एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग, विपणन भंडारण तथा निर्यात	
	(6) अन्य गतिविधियां (इनका उल्लेख किया जाना है)	
2.	इनके लिए मिले अनुदान:	
	(1) प्रोसेसिंग	
	(2) विपणन	
	(3) भण्डारण	
	(4) सम्भरण तथा निवेश	
	(5) अप्रधान वन उपज का एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग, विपणन भंडारण तथा निर्यात	
	(6) अन्य गतिविधियां (इनका उल्लेख किया जाना है)	
3.	इनके लिए मिले अतिरिक्त अनुदान :	
	(1) प्रशासनिक व्यय	
	(2) अन्य गतिविधियां (इनका उल्लेख किया जाना है)	

फार्म 'क' का अनुबन्ध 2—लेखा विवरण

वर्ष.....में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दिए गए/भुगतान किये गए ऋणों तथा अनुदानों का कार्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

योजना का प्रकार	ऋण				अनुदान			
	राज्य सरकारें	बैंक	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां	अन्य सोसायटियां	राज्य सरकारें	बैंक	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां	अन्य सोसायटियां
1. सहकारी प्रोसेसिंग . . .								
2. सहकारी विपणन . . .								
3. सहकारी भण्डारण . . .								
4. सम्भरण तथा निवेश . .								
5. कृषि उपज का आयात तथा निर्यात .								
6. अप्रधान वन उपज का एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग, विपणन, भण्डारण तथा निर्यात								

फार्म ख

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

31 मार्च, 19 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय तथा व्यय लेखा

क्र०सं०	व्यय	धनराशि	धनराशि	क्र०सं०	आय	धनराशि	धनराशि
1. इन्हें अनुदान दिए गए :—				1. केन्द्रीय सरकार से अनुदान :			
(क) राज्य सरकारें				घटा—अनुदानों की वापसी अदायगी			
(ख) सहकारी बैंक							
(ग) राष्ट्र स्तरीय तथा अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां							
(घ) अन्य सहकारी सोसायटियां							
2. केन्द्रीय सरकार को ऋणों पर देय ब्याज				2. दिये गए अनुदानों की वापसी अदायगी :			
				(क) राज्य सरकारें;			
				(ख) सहकारी बैंक;			
				(ग) राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां;			
				(घ) अन्य सहकारी सोसायाटियां;			
				(ङ) अन्य			

क्र०सं०	व्यय	धनराशि	क्र०सं०	आय	धनराशि
3.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को उधारों पर ब्याज दिया गया।		3.	इन पर ब्याज :—	
				(क) राज्य सरकारों को दिए गए ऋण	
				(ख) सहकारी बैंक	
				(ग) राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां	
				(घ) अन्य सहकारी सोसायटियां	
				(ङ) बैंक-लेखा	
				(च) अन्य	
4.	इन पर ब्याज दिया गया :—		4.	निवेश पर लाभांश	
	(1) ऋण-पत्रों				
	(2) बांड				
	(3) अन्य संस्थाओं से लिये गए उधार				
5.	प्रशासन पर किया गया व्यय :		5.	हामीदारी कमीशन आदि	
	क. चालू व्यय :				
	(क) वेतन तथा भत्ते				
	(ख) कर्मचारियों का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता				
	(ग) सदस्यों तथा दूसरों का शुल्क, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता				
	(घ) किराया, रेट तथा कर				
	(ङ) लेखन-सामग्री				
	(च) कार्यालय व्यय				
	(छ) सम्मेलन				
6.	प्रचार तथा प्रकाशन		6.	फुटकर आय	
7.	मूल्यह्रास (संलग्न अनुसूची के अनुसार)				
8.	आय-कर				
9.	लेखा-परीक्षा शुल्क				
10.	अन्य फुटकर व्यय				
11.	केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेय उपबन्ध				
12.	आरक्षित निधि को हस्तांतरित की गई धनराशि				
13.	व्यय से अधिक आय, जो तुलन-पत्र में ले जाई गई				

फार्म ग

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

31 मार्च, 19 का तुलन-पत्र

क्र०सं०	देयता	धनराशि	धनराशि	क्र०सं०	परिसम्पत्ति	धनराशि	धनराशि
1.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम निधि लेखा :			1.	स्थायी परिसम्पत्तियां तथा बेकार माल (मूल्य ह्रास को घटाकर) का संलग्न सूची के अनुसार मूल्य :		
	(क) रोकड़ जमा ;						
	(ख) आय और व्यय लेखा से हस्तांतरित (जमा अथवा घटा)						
2.	आरक्षित निधियां :			2.	राज्य सरकारों को दिए गए ऋण :		
	(1) 1 अप्रैल, 19 को रोकड़ जमा				(क) 1 अप्रैल, 19 को बकाया ;		
	(2) वर्ष के दौरान वृद्धि				(ख) वर्ष के दौरान दिए गए--जमा ;		
	(3) वर्ष के दौरान व्यय-घटा				(ग) वर्ष के दौरान वापस किए गए-घटा		
	(4) 31 मार्च, 19 को बकाया				(घ) 31 मार्च, 19 को बकाया		
3.	केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण :			3.	सहकारी बैंकों को ऋण :		
	(क) 1 अप्रैल, 19 को बकाया				(क) 1 अप्रैल, 19 को बकाया		
	(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त हुए--जमा ;				(ख) वर्ष के दौरान दिए गए--जमा		
	(ग) वर्ष के दौरान वापिस किए गए--घटा ;				(ग) वर्ष के दौरान वापस किए गए--घटा ;		
	(घ) 31 मार्च, 19 को बकाया				(घ) 31 मार्च, 19 को बकाया		
4.	बंध पत्र/ऋण पत्र बेचकर/जारी करके लिया उधार :			4.	राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां :		
	(क) 1 अप्रैल, 19 को बकाया ;				(क) 1 अप्रैल, 19 को बकाया ;		
	(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त हुए--जमा				(ख) वर्ष के दौरान दिए गए--जमा		
	(ग) वर्ष के दौरान चुकाये गए--घटा				(ग) वर्ष के दौरान वापस किए गए--घटा		
	(घ) 31 मार्च, 19 को बकाया				(घ) 31 मार्च, 19 को बकाया		
5.	बैंकों/अन्य वित्तदायी संस्थाओं से लिया गया उधार :			5.	अन्य सहकारी सोसायटियों को ऋण :		
	(क) 1 अप्रैल, 19 को बकाया ;				(क) 1 अप्रैल, 19 को बकाया ;		
	(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त हुए--जमा ;				(ख) वर्ष के दौरान दिए गए--जमा ;		

क्र०सं०	देयता	धनराशि	धनराशि	क्र०सं	परिसम्पत्ति	धनराशि	धनराशि
	(ग) वर्ष के दौरान वापस किए गए-घटा;				(ग) वर्ष के दौरान वापस किए गए—घटा;		
	(घ) 31 मार्च, 19 को बकाया।				(घ) 31 मार्च, 19 को बकाया।		
6.	अन्य संस्थाओं से उधार लिया गया :			6.	राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियों को अंश-पूंजी में लगाया गया धन :		
	(क) 1 अप्रैल, 19 को बकाया;				(क) 1 अप्रैल, 19 को बकाया;		
	(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त हुए—जमा;				(ख) वर्ष के दौरान दिया गया—जमा;		
	(ग) वर्ष के दौरान वापस किए गए—घटा;				(ग) वर्ष के दौरान चुकाया गया—घटा;		
	(घ) 31 मार्च, 19 को बकाया।				(घ) 31 मार्च, 19 को बकाया		
7.	अन्य देयता :—			7.	ऋण पत्र/बंध पत्र में लगाया गया निवेश :—		
	(क) केन्द्रीय सरकार को देय ब्याज						
	(ख) बकाया व्यय						
	(ग) आयकर के लिए प्रावधान						
	(घ) अन्य						
				8.	कर्मचारियों को अग्रिम धन :		
					(क) 1 अप्रैल, 19 को बकाया		
					(ख) वर्ष के दौरान दिए गए—जमा		
					(ग) वर्ष के दौरान वापस किए गए—घटा		
					(घ) 31 मार्च, 19 को बकाया		
				9.	इनसे ब्याज बना तथा देय हुआ :		
					(क) राज्य सरकारें;		
					(ख) सहकारी बैंक;		
					(ग) राष्ट्र स्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी सोसायटियां;		
					(घ) अन्य सहकारी सोसायटियां;		
					(ङ) बैंक खाता		
					(च) अन्य निवेश		
				10.	पूर्वदत्त व्यय :—		
					आयकर		
				11.	अंत शेष :—		
					(क) हाथ रोकड़		
					(ख) बैंक में रोकड़ :		
					(1) चालू खाता		
					(2) जमा खाता		

फार्म 'घ'

(नियम 14(क) देखें)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत विवरणियों तथा विवरणों का फार्म

आय :

1. को अवशेष

2. केन्द्रीय सरकार से आय :
   (क) इनके लिए ऋण :
      (1) प्रोसेसिंग
      (2) विपणन
      (3) भण्डारण
      (4) सम्भरण तथा निवेश
      (5) संग्रहण, प्रोसेसिंग, विपणन, भण्डारण तथा अप्रधान वन उपज का निर्यात
      (6) अन्य कार्य (उल्लेख किया जाना है)
   (ख) इनके लिए अनुदान :
      (1) प्रोसेसिंग
      (2) विपणन
      (3) भंडारण
      (4) संभरण तथा निवेश
      (5) संग्रहण, प्रोसेसिंग, विपणन, भंडारण तथा अप्रधान वन उपज का निर्यात
      (6) अन्य कार्य (उल्लेख किया जाना है)
   (ग) इनके लिए अतिरिक्त अनुदान :—
      (1) प्रशासनिक व्यय
      (2) अन्य कार्य (उल्लेख किया जाना है)

3. अन्य उधार :—
   (क) बंध पत्रों/ऋण पत्रों की बिक्री द्वारा
   (ख) अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा अनुदान
   (ग) अन्य स्त्रोतों से ऋण

4. इनके द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी और वापसी :
   (क) राज्य सरकारें
   (ख) सहकारी बैंक
   (ग) राष्ट्र स्तरीय तथा अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां
   (घ) अन्य सहकारी सोसायटियां

5. इन पर प्राप्त ब्याज :—
   (क) राज्य सरकारों को दिये ऋण
   (ख) सहकारी बैंकों को दिये ऋण
   (ग) राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियों को दिये ऋण
   (घ) अन्य सहकारी सोसायटियों को दिये ऋण
   (ङ) बैंकों में लगाये गये धन
   (च) निगम के कर्मचारियों को दिये अग्रिम धन
   (छ) अन्य विनियोग

6. विनियोग पर लाभांश

7. अनुदानों की वापसी

8. अदा की गई अंशपूंजी

9. ऋण पत्रों का विमोचन

10. अन्य विविध आय

योग :

भुगतान :

1. प्रशासन पर व्यय :
   (क) चालू व्यय
   (ख) परिसम्पत्तियों पर व्यय (जिसमें कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिम धन भी शामिल है)
2. सहकारी सोसायटियों को अंशपूंजी में लगाया गया धन
3. ऋण पत्रों/बंधपत्रों में लगाया गया धन
4. इन्हें दिये गये अनुदान :*
   (क) राज्य सरकारें
   (ख) राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां
   (ग) अन्य सहकारी सोसायटियां
   (घ) अन्य
5. उधारों की वापसी-अदायगी :—
   (क) बैंक और वित्तीय संस्थायें
   (ख) अन्य संगठन
   (ग) बंध पत्रों/ऋण पत्रों का विमोचन
6. इन्हें ऋण दिये गए :—*
   (क) राज्य सरकारें
   (ख) सहकारी बैंक
   (ग) राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां
   (घ) अन्य सहकारी सोसायटियां
7. इन पर ब्याज की अदायगी :—
   (क) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये उधार
   (ख) बंध पत्र/ऋण पत्र
   (ग) अन्य स्त्रोतों के लिये उधार
8. प्रचार और प्रकाशन पर किया व्यय
9. आयकर अदा किया गया
10. विविध व्यय :—
    (क) लेखा परीक्षा शुल्क
    (ख) अन्य विविध व्यय
11. को हाथ में शेष रोकड़

योग : _____

*कार्यवार ब्यौरा संलग्न किया जाना है।

फार्म 'घ' का अनुबन्ध

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दिये गए/भुगतान किए गए ऋणों तथा अनुदानों का कार्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

योजना का स्वरूप	ऋण				अनुदान			
	राज्य सरकारें	बैंक	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां	अन्य सोसायटियां	राज्य सरकारें	बैंक	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राज्यीय सहकारी सोसायटियां	अन्य सोसायटियां
1. सहकारी प्रोसेसिंग								
2. सहकारी विपणन								
3. सहकारी भंडारण								
4. संभरण तथा निवेश								
5. कृषि उपज का आयात तथा निर्यात								
6. अप्रधान वन उपज का संग्रहण, प्रोसेसिंग, विपणन, भंडारण तथा निर्यात								

फार्म 'ङ'

(नियम 14(ङ) देखें)

यह रिपोर्ट विवरणात्मक रूप में होगी और इसमें ये बातें होंगी :—

(i) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से संबंधित कार्यक्रमों की प्रगति, समस्याओं और संभावनाओं की सर्वांगीण समीक्षा ।

(ii) मद (I) में उल्लिखित इन कार्यक्रमों का विस्तार करने और इन्हें मजबूत बनाने में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अदा की गई प्रोत्साहनात्मक, वित्तीय और विकासात्मक भूमिका ।

(iii) विवरण की पुष्टि में पूरक विवरण तथा अनुसूचियां ।

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 5th April, 1975

G.S.R. 477.—In exercise of the powers conferred by section 22 of the National Co-operative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962) and in supersession of the National Co-operative Development Corporation Rules, 1963, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Co-operative Development Corporation Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 7th April, 1975.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) 'Act' means the National Co-operative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962);

(b) 'Board' means the Board of Management of the Corporation constituted under section 10 of the Act;

(c) 'Corporation' means the National Co-operative Development Corporation established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(d) 'Form' means a form appended to these rules;

(e) 'General Council' means the General Council of the Corporation constituted under sub-section (4) of section 3 of the Act;

(f) 'managing director' means the managing director of the Corporation;

(g) 'member' means a member of the General Council;

(h) 'President' means the President of the General Council;

(i) 'section' means a section of the Act.

3. President and Vice President.—(1) The President shall be the Minister incharge of the Ministry of the Central Government dealing with Co-operation.

(2) The Vice President of the General Council shall be a Minister of State in the Ministry of the Central Government dealing with Co-operation to be nominated by that Government.

4. Term of office of members.—Every member nominated under clauses (viii), (xiv), (xv), (xvi) and (xvii) of sub-section (4) of section 3 shall hold office for a period of three years from the date of his nomination.

5. Filling in casual vacancy of a member.—A person nominated to fill the casual vacancy of a member shall hold office for so long as the member, whose place he fills would have been entitled to hold office, if the vacancy had not occurred.

6. Register of members.—(1) The Corporation shall maintain a register in which the name and address of each member shall be entered.

(2) If a member changes his address, he shall notify his new address to the Managing director and the managing director shall amend the relevant entry in the register accordingly.

7. Members going out of India.—(1) Before a member nominated under clauses (viii), (xiv), (xv), (xvi) and (xvii) of sub-section (4) of section 3 leaves India, he shall inform the President, and intimate to him the date of his departure and the date of his expected return to India.

(2) If the said member intends to be, or is actually absent from India for a period longer than six months, he shall tender his resignation, unless the President, at his discretion, allows him to continue as a member.

(3) If the said member is continuously absent from India for a period longer than six months and has not obtained the President's permission under sub-rule (2), the Central Government may, subject to the provisions of section 6, remove him from membership of the General Council.

8. A member absenting himself from three consecutive meetings of the General Council.—A member nominated under clauses (viii), (xiv), (xv), (xvi) and (xvii) of sub-section (4) of section 3 who, without the permission of the President, absents himself from three consecutive meetings of the General Council, may subject to the provisions of section 6, be removed from membership of the General Council by the Central Government.

9. Managing Director.—(1) The Managing Director shall draw such salary and allowances as the Central Government may deem fit to fix in each case.

(2) If the managing director is not an officer in the service of the Central Government—(i) his leave and leave allowances and travelling allowances shall be the same as those admissible to the class of officers to which the Central Government may declare him to correspond in status;

(ii) the other conditions of service shall be such as the Central Government may determine in each case.

(3) If the managing director is an officer in the service of the Government, the Corporation shall make such contribution towards the leave allowances, pension, gratuity and provident fund as may be required, by the conditions of his

service under the Government to be made by him or on his behalf.

(4) The Central Government may terminate the services of the managing director at any time without giving any reasons therefor by giving three months notice and the managing director may resign his office at any time by giving three months notice in writing to the Central Government.

10. Financial Adviser of the Corporation.—The Corporation shall appoint, with the approval of the Central Government, a Financial Adviser to advise the Corporation on all matters relating to income and expenditure.

11. Vice-Chairman of the Board.—The Vice-Chairman of the Board shall be the Secretary or the Special Secretary or the Additional Secretary as the case may be, for the time being in charge of the Department of the Central Government dealing with Co-operation.

12. Resignation by members of the Board.—A member of the Board nominated under clauses (iv), (v), (vi) and (vii) of section 10, may resign his office as such member by writing under his hand addressed to the managing director and such resignation shall be effective from the date on which it is accepted by the Board or on the expiry of a period of one month from the date of its receipt by the managing director, whichever is earlier.

13. Annual Statement of Accounts.—The books of the Corporation shall be balanced on the last working day of the month of March in each year and the annual statement of accounts shall be set out as in Forms 'A', 'B' and 'C'.

14. Returns and Reports.—

(a) The returns, statements and other particulars to be furnished by the Corporation under sub-section (1) of section 14 in regard to the discharge of its functions under the Act shall be in Form 'D' and they shall be submitted every half year to the Central Government.

(b) The report required to be submitted to the Government under sub-section (2) of section 14 shall be made in Form "E" within nine months from the expiry of the period to which the report relates.

[F. No. L-12011/1/74-MWS.
A. DAS, Jt. Secy.

FORM 'A'

(See rule 13)

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

Statement of accounts for the year ended 31st March,.....

Receipts	Payments
1. Opening Balance	1. Investment in the share capital of National level and Inter-state Cooperative Societies. Processing/Marketing/Other Cooperatives.
2. Refunds against grants made to : (a) State Government ; (b) Cooperative Banks ; (c) National level and Inter-state Cooperative Societies ; (d) Other Cooperative Societies ; (e) Others ;	2. Loans to : (a) State Government ; (b) Cooperative Banks ; (c) National level and Inter-state Cooperative Societies ; (d) Other Cooperative Societies ; (Activity-wise details given in Annexure-II)
3. Loans repaid by : (a) State Governments; (b) Cooperative Banks ; (c) National level ad Inter-state Cooperative Societies ; (d) Other Cooperative Societies.	3. Investments in debentures/bonds.
4. Receipts from the Government : (a) Grants ; (b) Additional Grants ; (c) Loans ; (Activity-wise details given in Annexure-I).	4. Grants to : (a) State Governments ; (b) Cooperative Banks ; (c) National Level and Inter-state Cooperative Societies ; (d) Other Cooperative Societies. (Activity-wise details given in Annexure-II).
5. Borrowings by/from : (a) Sale of bonds ; (b) Issue of debentures ; (c) Banks/other financial institutions ; (d) Other organisations.	5. Payment to Central Government ; (a) Loans repaid/refunded ; (b) Refund of grants ; (c) Interest.

Receipts	Payments
6. Share capital redeemed.	6. Repayment of borrowings to : (a) Banks/Financial Institutions ; (b) Other Organisations : (c) Redemption of debentures : (d) Redemption of bonds.
7. Redemption of debentures.	7. Interest on ; (a) Borrowings from Banks/Financial Institutions : (b) Debentures ; (c) Bonds : (d) Borrowings from other Organisations.
8. Advances repaid by staff.	8. Expenses on Administration : A. Current Expenses : (a) Salary and Allowances : (b) T.A. and D.A. of staff : (c) Fee, T.A. and D.A. of members and others : (d) Rents, Rates and Taxes ; (e) Stationery ; (f) Office expenses ; (g) Conferences. B. Expenses on Assets : (a) Advances to staff ; (b) Plant and Machinery ; (c) Furniture and Fixtures ; (d) Library Books ; (e) Other assets.
9. Dividnds on Investments.	9. Investment in land and buildings.
10. Interest on : (a) Loans to State Governments ; (b) Loans to Cooperative Banks ; (c) Loans to National Level and Inter-state Cooperative Societies ; (d) Loans to Other Cooperative Societies; (e) Banks : (f) Advances to staff : (g) Other Investments.	10. Publicity and Publications.
11. Miscellaneous Receipts.	11. Income Tax. 12. Audit Fees. 13. Other Miscellaneous Expenditure. 14. Balance in hand.
TOTAL :	TOTAL :

(Annexure I to Form 'A'—Statement of Accounts)

Statement showing the Activity-wise receipt of loans and grants from Central Government during the year————

Sl. No.	Nature of Receipt	Amount
1.	Loans for :	
	(i) Processing	
	(ii) Marketing	
	(iii) Storage	
	(iv) Supplies and inputs	
	(v) Collection, Processing, Marketing, Storage and export of minor forest produce	
	(vi) Other activities (to be specified).	
2.	Grants for :	
	(i) Processing	
	(ii) Marketing	
	(iii) Storage	
	(iv) Supplies and inputs	
	(v) Collection, Processing, Marketing, Storage and export of minor forest produce	
	(vi) Other activities (to be specified).	
3.	Additional Grants for :	
	(i) Administrative Expenses	
	(ii) Other activities (to be specified).	

(ANNEXURE II TO FORM 'A'—STATEMENT OF ACCOUNTS)

Statement showing the Activity-wise disbursement of loans and Grants advanced/paid by National Cooperative Development Corporation during the year————

Nature of Scheme	Loans				Grants			
	State Governments	Banks	National and Inter-state Co-operative Societies	Other Societies	State Governments	Banks	National and Inter-state Co-operative Societies	Other Societies
1. Cooperative Processing.								
2. Cooperative Marketing.								
3. Cooperative Storage.								
4. Supplies and inputs.								
5. Import and Export of agricultural produce.								
6. Collection, Processing, Marketing, Storage and export of minor forest produce.								

FORM B

RASHTRIYA SAHAKARI VIKAS NIGAM

(National Cooperative Development Corporation)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 19....

Sl. No.	Expenditure	Amount	Amount	Sl. No.	Income	Amount	Amount
1.	Grants to :			1.	Grant from Central Government :		
	(a) State Governments				Less refund of Grants.....		
	(b) Cooperative Banks						
	(c) National Level and Inter-State Cooperative Societies.						
	(d) Other Cooperative Societies.						
2.	Interest on loans due to Central Government.			2.	Refunds against grants made to :		
					(a) State Governments;		
					(b) Cooperative Banks;		
					(c) National Level and Inter-State Cooperative Societies;		
					(d) Other Cooperative Societies;		
					(e) Others.		
3.	Interest on Borrowings :			3.	Interest on :		
	Paid to Banks/Financial Institutions.				(a) Loans to State Governments;		
					(b) Cooperative Banks;		
					(c) National Level and Inter-State Cooperative Societies;		
					(d) Other Cooperative Societies;		
					(e) Bank Account;		
					(f) Others.		
4.	Interest paid on :			4.	Dividends on investment.		
	(i) Debentures;						
	(ii) Bonds;						
	(iii) Borrowing from other organisations.						
5.	Expenses on Administration :			5.	Underwriting commission etc.		
	A. Current Expenses :						
	(a) Salary and Allowances;						
	(b) T.A. and D.A. of Staff;						
	(c) Fee, T.A. and D.A. of members and others;						
	(d) Rents, Rates and Taxes;						
	(e) Stationery;						
	(f) Office expenses;						
	(g) Conferences.						
6.	Publicity and Publications.			6.	Miscellaneous receipts.		
7.	Depreciations (vide schedule attached).						
8.	Income-Tax.						
9.	Audit fee.						
10.	Other Miscellaneous expenditure.						
11.	Subsidy refundable to Central Government.						
12.	Amount transferred to Reserves.						
13.	Excess of income over expenditure carried over to Balance Sheet.						

FORM C

RASHTRIYA SAHAKARI VIKAS NIGAM

(National Cooperative Development Corporation)

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 19.....

Sl. No.	Liabilities	Amount	Amount	Sl. No.	Assets	Amount	Amount
1.	NCD Fund Account: (a) Opening Balance; (b) Transfer from income and expenditure Accounts (plus or minus).			1.	Value of fixed assets and dead stock (less depreciation) vide schedule attached.		
2.	Reserves : (i) Opening balance as on 1st April, 19 ; (ii) Addition during the year; (iii) Less expenditure during the year; (iv) Outstanding as on 31st March, 19 .			2.	Loans paid to State Governments: (a) Outstanding as on 1st April, 19 ; (b) Add paid during the year; (c) Less repaid during the year; (d) Outstanding as on 31st March, 19 .		
3.	Loans received from Central Government : (a) Outstanding as on 1st April, 19 ; (b) Add received during the year; (c) Less repaid during the year. (d) Outstanding as on 31st March, 19 .			3.	Loans to Coop. Banks: (a) Outstanding as on 1st April, 19 ; (b) Add paid during the year; (c) Less repaid during the year; (d) Outstanding as on 31st March, 19		
4.	Borrowing by sale-issue of Bonds/ debentures : (a) Outstanding as on 1st April, 19 ; (b) Add received during the year; (c) Less redeemed during the year ; (d) Outstanding as on 31st March, 19 .			4.	Loans to National Level and Inter-state Coop. Societies : (a) Outstanding as on 1st April, 19 ; (b) Add paid during the year; (c) Less repaid during the year; (d) Outstanding as on 31st March, 19 .		
5.	Borrowing from Banks/Other financial Institutions : (a) Outstanding as on 1st April, 19 . (b) Add received during the year ; (c) Less repaid during the year ; (d) Outstanding as on 31st March, 19 ;			5.	Loans to other coop. societies ; (a) Outstanding as on 1st April, 19 ; (b) Add paid during the year ; (c) Less repaid during the year ; (d) Outstanding as on 31st March, 19 .		
6.	Borrowing from other Organisations : (a) Outstanding as on 1st April, 19 ; (b) Add received during the year ; (c) Less repaid during the year ; (d) Outstanding as on 31st March, 19 .			6.	Investment in Share Capital of National Level and Inter-State Co-operative Societies : (a) Outstanding as on 1st April, 19 ; (b) Add paid during the year ; (c) Less redeemed during the year ; (d) Outstandings on 31st March, 19 .		
7.	Other liabilities ; (a) Interest payable to Central Government ; (b) Expenses outstanding ; (c) Provision for Income-Tax ; (d) Others.			7.	Investment indebentures/bonds.		
				8.	Advances to Staff : (a) Outstanding as on 1st April, 19 ; (b) Add paid during the year ; (c) Less repaid during the year ; (d) Outstanding as on 31st March, 19 .		
				9.	Interest accrued and due from : (a) State Governments ; (b) Cooperative Banks : (c) National Level and Inter-State Cooperative Societes ; (d) Other Cooperative Societies ; (e) Bank Account ; (f) Other investment.		
				10.	Prepaid Expenditure : Income Tax.		
				11.	Closing Balance : (a) Cash in hand ; (b) Cash in Bank : (i) Current Account ; (ii) Deposit Account.		

FORM "D"

[See rule 14(a)]

FORM OF RETURNS AND STATEMENTS UNDER SECTION 14(I) OF NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION ACT

RECEIPTS :

1. Opening balance as on——————————
2. Receipts from Central Government :

(a) Loans for ;

(i) Processing;
(ii) Marketing;
(iii) Storage;
(iv) Supplies and Inputs;
(v) Collection, Processing, Marketing, Storage and export of minor forest produce;
(vi) Other activities (to be specified).

(b) Grants for :—

(i) Processing;
(ii) Marketing;
(iii) Storage;
(iv) Supplies and Inputs;
(v) Collection, Processing, Marketing, Storage and export of minor forest produce;
(vi) Other activities (to be specified).

(c) Additional Grants for :—

(i) Administrative Expenses;
(ii) Other activities (to be specified).

3. Other borrowings :—

(a) By sale of bonds/debentures.
(b) Loans and grants from other financial institutions.
(c) Loans from other sources.

4. Repayments and Refund of loans by :

(a) State Governments.
(b) Cooperative banks.
(c) National Level and Inter-state Cooperative Societies.
(d) Other cooperatives.

5. Interest received on :—

(a) Loans to State Governments.
(b) Loans to Cooperative Banks.
(c) Loans to National Level and Inter-state Cooperative Societies.
(d) Loans to other cooperative societies.
(e) Investments in Banks.
(f) Advances to employees of the Corporation.
(g) Other investments.

6. Dividends on investments.

7. Refund of grants.

8. Share capital redeemed.

9. Redemption of debentures.

10. Other Miscellaneous Receipts.

TOTAL :

PAYMENTS :

1. Expenses on administration :
   (a) Current expenses.
   (b) Expenses on assets (including advances to employees).
2. Investment in share capital of Cooperative Societies.
3. Investment in debentures/bonds.
4. Grants to :*
   (a) State Governments.
   (b) National Level and Inter-state cooperative societies.
   (c) Other cooperative societies.
   (d) Others.
5. Repayment of borrowings :
   (a) To banks and financial institutions.
   (b) Other organisations.
   (c) Redemptions of bonds/debentures.
6. Loans to :*
   (a) State Governments.
   (b) Cooperative banks.
   (c) National level and Inter-state cooperative societies.
   (d) Other cooperative societies.
7. Payments of interest on :
   (a) Borrowings from banks and other financial institutions.
   (b) Bonds/debentures.
   (c) Borrowings from other sources.
8. Expenditure on publicity and publications.
9. Income Tax paid.
10. Miscellaneous Expenditure :
    (a) Audit Fee.
    (b) Other miscellaneous expenditure.
11. Balance in hand as on————.

TOTAL :

*Activities-wise details to be appended.

(Annexure to Form D)

Statement showing the activity-wise disbursement of loans and grants advanced/paid by National Cooperative Development Corporation during the year————

Nature of Scheme	Loans				Grants			
	State Governments	Banks	National and Inter-State Co-operative Societies	Other Societies	State Governments	Banks	National and Inter-State Co-operative Societies	Other Societies
1. Cooperative Processing.								
2. Cooperative Marketing.								
3. Cooperative Storage.								
4. Supplies and Inputs.								
5. Import and Export of agricultural produce.								
6. Collection, Processing, Marketing, storage and Export of minor forest produce.								

FORM E

(See rule 14(b)

The report shall be in the form of narrative and shall contain :—

(i) The over-all review of the progress, problems and prospects of the programmes with which National Cooperative Development Corporation is concerned.

(ii) The promotional, financial and developmental role played by National Cooperative Development Corporation in expanding and strengthening of these programmes referred to in item (i).

(iii) Subsidiary statements and schedules in support of the narrative.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1975